लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)

[२७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)]

(May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka))

आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड ३२--आठवां सत्र, १९६४]

अंक १--बुधवार, २७ मई, १९६४ / ६ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य की दशा १

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १–२

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१	अल्पसंख्यकों की सुरक्षा	२--७
२	शिक्षा मंत्रालय में मितव्ययता	७–८
३	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	८–९
४	अनुसंधान केन्द्र	९–१०
५	वैज्ञानिक उपकरण तथा मशीन	१०--१२
६	राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा	१३–१४
७	पेट्रो कैमिकल उद्योग	१५–१६
८	ईराक और कुवैत में तेल संबंधी रियायतें	१६–१७
९	राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन	१७--२१
१०	भ्रष्टाचार	२१--२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर २३--५२

तारांकित प्रश्न संख्या		
११	विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२३–२४
१२	सीमावर्ती राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि	२४
१३	भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन	२५
१४	मद्रास तथा हल्दिया के तेलशोधक कारखाने	२५
१५	सतर्कता आयुक्त को प्राप्त शिकायतें	२५–
१६	साम्प्रदायिक दंगे	

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सद... ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXII—Eighth Session, 1964]

No. 1—Wednesday, May 27, 1964/Jyaistha 6, 1886 (Saka)

	State of Health of Prime Minister	1
	Member Sworn	1-2

Oral Answers to Questions

*Starred Questions Nos.	Subject	Page
1	Security to the Minorities . . .	2—7
2	Economy in Education Ministry .	7-8
3	Gauhati Refinery .	8-9
4	Research Centres	9-10
5	Scientific Equipment and Machinery . .	10-12
6	Guards for National Plants . . .	13-14
7	Petro-Chemical Industries	15-16
8	Oil Concessions in Iraq and Kuwait . . .	16-17
9	State Education Ministers' Conference . .	17—21
10	Corruption	21—23

Written Answers to Questions

Starreds Questions Nos.		
11	C.H.S. Scheme for University Students and Teachers	23-24
12	Increase in Muslim Population in Border States . .	24
13	Conference of Home Ministers of India and Pakistan .	25
14	Madras and Haldia Refineries . . .	25
15	Complaints received by vigilance Commissioner	25-26
16	Communal Riots	26

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७	भारतीय प्रशासन सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा	२९
१८	अध्यापकों की सेवा की शर्तें	२७
१९	अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों का निकाला जाना	२७
२०	राजस्थान में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश .	२८
२१	तेल मूल्य जांच समिति	२८–२९

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१	आई० सी० एस० अधिकारी . .	२९
२	पवित्र बाल की चोरी . . .	३०
३	दिल्ली के स्कूलों का पाठ्यक्रम . . .	३०
४	शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण का समन्वय	३०–३१
५	[illegible] तथा काश्मीर में लकड़ी की मूर्तियां .	३१
६	विज्ञान नीति आयोग . .	३१
७	पश्चिम बंगाल में उर्वरक कारखाना .	३२
९	हिन्द महासागर में खनिज तथा रसायन	३२
१०	माध्यमिक विद्यालयों के लिए केन्द्रीय सहायता	३३
११	कानपुर के समीप हथियारों के कारखाने	३३–३४
१२	महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी . .	३४
१३	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सहायक आयुक्त	३४–३५
१४	त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम .	३५
१५	कोचीन तेल शोधक कारखाना	३५
१६	शिक्षा संबंधी योजनायें .	३५
१७	१९६० की सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	३६
१८	केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल .	३६
१९	विश्वविद्यालय औद्योगिक बस्तियां	३७
२०	पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां .	३७–३८
२१	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	३८
२२	उड़ीसा में शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान	३८–३९

Starred Questions Nos.	Subject	Page
17	Limited Competitive I.A.S. Examination	26
18	Service Conditions of Teachers	27
19	Eviction of Pakistani Infiltrators	27
20	Pakistani Infiltration in Rajasthan	28
21	Oil Price Enquiry Committee	28–29

Unstarred Questions Nos.		
1	I.C.S. Officers	29
2	Theft of Holy Relic	30
3	School Curriculum in Delhi	30
4	Coordination of Physical Education, Recreation and Youth Welfare	30–31
5	Wooden Sculptures in Jammu and Kashmir	31
6	Science Policy Commission	31
7	Fertiliser Plant in West Bengal	32
9	Minerals and Chemicals in Indian Ocean	32
10	Central Aid for Secondary Schools	33
11	Arms Factories near Kanpur	33–34
12	Birth Centenary of Mahatma Gandhi	34
13	Assistant Commissioners of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	34–35
14	Three-Year Post-Graduate Course	35
15	Cochin Refinery	35
16	Education Schemes	35
17	Government Employees Strike of 1960	36
18	Central Reserve Police Force.	36
19	University Industrial Estates	37
20	S.Cs. and S. Ts. in West Bengal	37–38
21	National Loan Scholarships Scheme	38
22	Grants for Physical Education in Orissa	38–39

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३	जबलपुर में बम बनाने के कारखाने	३९
२४	एमोनियम क्लोराइड . . .	३९–४०
२५	विश्वविद्यालय शिक्षकों को अनुसन्धान अनुदान . .	४०
२६	कावेरी बेसिन में तेल	४१
२७	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का कार्य	४१
२८	साक्षरता सर्वेक्षण . . .	४१–४२
२९	समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें . .	४२
३०	उड़ीसा के स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों के शिक्षक .	४२
३१	जम्मू तथा काश्मीर .	४२–४३
३२	बिहार में खुदाई .	४३
३३	काशी विद्यापीठ को अनुदान	४३
३४	दिल्ली में चोरियां . .	४४
३५	भोपाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	४४
३६	दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी .	४४
३७	हिन्दी को केन्द्रीय सेवा संबंधी परीक्षाओं का माध्यम बनाना .	४५
३८	गन्धक का तेजाब तैयार करने का संयंत्र	४५
३९	गुजरात के उद्योगों को गैस का संभरण	४६
४०	अन्दमान में नमक का मूल्य .	४६–४७
४१	पश्चिमी बंगाल में तेल के लिए खुदाई	४७
४२	दिल्ली के स्कूलों में भूगोल .	४७
४३	नागरी प्रचारिणी सभा का विश्व कोष	४७–४८
४४	राज्यों को केन्द्रीय अनुदान .	४८
४५	श्रव्य-दृश्य शिक्षा के तकनीकी विशेषज्ञ .	४८–४९
४६	काशी के निकट पुरातत्त्व संबंधी खोज .	४९
४७	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नतियां .	४९—५१
४९	अन्दमान विशेष वेतन . .	५१
५०	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा पद्धति	५१–५२
५१	पोर्टब्लेयर में गोली का चलाया जाना . .	५२

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
23	Bomb Manufacturing Factories in Jabalpur	39
24	Ammonium Chloride	39–40
25	Research Grants to University Teachers	40
26	Oil in Cauvery Basin	41
27	Welfare of S.Cs. and S.Ts. in Orissa	41
28	Literacy Survey	41–42
29	Social Welfare Extension Projects	42
30	Teachers of Local Body Schools of Orissa	42
31	Jammu and Kashmir	42–43
32	Drilling in Bihar	43
33	Grants to Kashi Vidya Peeth	43
34	Thefts in Delhi	44
35	Central University at Bhopal	44
36	Pakistanis residing in Delhi	44
37	Hindi as Medium in Central Service Examinations	45
38	Sulphuric Acid Plant	45
39	Supply of Gas to Gujarat Industries	46
40	Salt Price in Andamans	46–47
41	Drilling in West Bengal	47
42	Geography in Delhi Schools	47
43	Encyclopaedia of Nagari Pracharini Sabha	47–48
44	Central Grants to States	48
45	Technical Specialists in Audio-Visual Education	48–49
46	Archaeological Excavations near Kashi	49
47	Promotions of Class I Officers	49–51
49	Andaman Special Pay	51
50	Education System in Andaman and Nicobar Islands	51–52
51	Firing at Port Blair	52

निधन संबंधी उल्लेख ५२

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न) . ५१,५७–५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तिरुवेली रेलवे स्टेशन पर पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर गोली चलाया जाना . . . ५३—५६

श्री कृष्णपाल सिंह ५३

श्री त्यागी . . . . . ५३—५६

सभा पटल पर रखे गए पत्र ५८–५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६४–६५ . . . ६०

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, १९६४—पुरस्थापित . ६१—६४

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक . . ६५—७०

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ६५

श्री बाल्मीकी ६५–६६

श्री दी० चं० शर्मा ६६–६७

श्री मुत्तु गौंडर ६७–६८

श्री राम सहाय पाण्डेय ६८–६९

श्री ओंकार लाल बेरवा ६९

श्री सिंहासन सिंह ६९

श्री श्याम लाल सर्राफ ७०

श्री दे० शि० पाटिल ७०

श्री जवाहरलाल नेहरू का देहावसान ७०–७१

Subject	Pages
Obituary references	52
Re: Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—(Query)	52, 57–58
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
Firing on refugees from East Pakistan at Tiruvelli Railway Station	53—56
Shri Krishna Pal Singh	53
Shri Tyagi	53—56
Papers laid on the Table	58–59
President's assent to Bills	60
Demands for Supplementary Grants (General), 1964-65	60
Constitution (Nineteenth Amendment) Bill, 1964-introduced	61—64
Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill	65—70
Motion to consider, as reported by Joint Committee	65
Shri Balmiki	65-66
Shri D. C. Sharma	66–67
Shri Muthu Gounder	67–68
Shri R.S. Pandey	68-69
Shri Onkar Lal Berwa	69
Shri Sinhasan Singh	69
Shri Sham Lal Saraf	70
Shri D.S. Patil	70
Demise of Shri Jawaharlal Nehru	70–71

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सुची

अ

अकिनोडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुर्रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम्, श्री (रामनाथपुरम)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलियापेरूमाल, श्री (तिरूकोइलर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पट्टुकोट्टई)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुर)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नामनिर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्र नगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटको, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसबै, श्री (चिदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेंगोड)

कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णीसिंहजी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरिविष्णु (होशंगाबाद)

कामले, श्री तु० द० (लातूर)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)

कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)

क——क्रमशः

कृष्ण, श्री मं० रं० (पद्मपल्लि)

कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)

केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)

केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)

केसर लाल, श्री (सबाई माधोपुर)

कोया, श्री (कोजीकोड)

कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)

कोहोर, डा० (फूलबनी)

कोजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)

खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)

खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)

खां, डा पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)

खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गजराज सिंह राव, (श्री गुड़गांव)

गणपति राम, श्री (मछलीशहर)

गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)

गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)

गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर——मध्य दक्षिण)

गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता——दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)

गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)

गुप्त, श्री रामरतन (गोंडा)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा (जबलपुर)
गौंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, (श्री बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री भन्द्रमणिलाल (महुआ)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी , श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री शुद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्री शचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासराम)

जगन्नाथ राव, श्री (नौरंगपुर)

जमीर, श्री सा० चुबातोशी (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र)

जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)

जयरामन, श्री (वांडीवाश)

जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)

जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)

जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)

जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)

ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

त—क्रमशः

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलानाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महावीर, (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्णदेव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री आ० म० (एरणाकुलम)
थेन गौंडर, श्री (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दाजी, श्री होमी (इन्दौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुवांशु (डायमन्ड हार्बर)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)

द—क्रमशः

देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)
दोराइ, श्री, काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)
नल्लाकोया, श्री (नामनिर्देशित लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)
नायक, श्री मोहन (भजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फुलपुर)

प

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

प—क्रमश:

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भडौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुरूषोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मान सिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्र चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)

पराघी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ, (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री दवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्लें, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथ्वीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

फ

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनूभाई, दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)

बालकृष्णन्, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, (श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री भूपेन्द्र नारायण (सहरसा)
मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मनेन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइच्छामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसुरिया दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)

म--क्रमशः

महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री ग़ोकुलानन्द (बालासोर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़--उत्तर)

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)

माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)

मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)

मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु, (बालोदा बाजार)

मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)

मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)

मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)

मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)

मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)

मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)

मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)

मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)

मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)

मुज्जफ्फर हुसेन, श्री (मुरादाबाद)

मुथिया श्री (तिरुनेलवेली)

मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)

मुरमू, श्री सरकार (बलूरघाट)

मुरली मनोहर, श्री (बलिया)

मुरारका, श्री (झुंझनू)

मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)

मुहम्मद यूसुफ, श्री (सीवन)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम्)

म—क्रमशः

मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई-उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगा राव, श्री र० वे० गो० कृ० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

र—क्रमशः

रतन लाल, श्री (बंसवारा)
राउत, श्री भोला, (बेतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चितरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंड्री)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (रावर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

र—क्रमशः

राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (कावलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा, (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० चित्तौड़गढ़)

व--क्रमशः

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)
विजयराजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटासुब्बैया, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रामती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरघना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)

श--क्रमश:

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसो)
शिव प्रधासन, श्री (पांडिचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्री निवासन, डा० (मद्रास-उत्तर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)

स

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजो रूपजो, श्री (नामनिर्देशित--दादरा तथा नगर हवेली)
समनानो, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मु तथा काश्मीर)
सहगल, श्री ग्र० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिल्लौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंधवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कु० मा० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

स--क्रमश:

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छपरा)
सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम्, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री विशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स—क्रमशः

स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोडडा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरूमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री--श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री--श्री गुलजारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री--श्री टि॰ त॰ कृष्णमाचारी

बिना विभाग के मंत्री--श्री लाल बहादुर शास्त्री

खाद्य तथा कृषि मंत्री--श्री स्वर्ण सिंह

विधि मंत्री तथा संचार मंत्री --श्री अ॰ कु॰ सेन

प्रतिरक्षा मंत्री--श्री यशवन्तराव चह्वाण

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री--श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री--श्री हुमायून कबिर

संसद कार्य मंत्री--श्री सत्य नारायण सिंह

रेलवे मंत्री--श्री हि॰ चे॰ दासप्पा

शिक्षा मंत्री--श्री मु॰ क॰ चागला

श्रम और रोजगार मंत्री--श्री संजीवैया

पुनर्वास मंत्री--श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री--श्री मेहर चन्द खन्ना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री--श्री मनुभाई शाह

उद्योग मंत्री--श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री--श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री--श्री सु॰ कु॰ डे

स्वास्थ्य मंत्री--डा॰ सुशीला नायर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री--श्री जयसुखलाल हाथी

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री--श्री रघुरामैया

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री--श्री अलगेशन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री--डा॰ राम सुभग सिंह

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री--श्री अ॰ म॰ थॉमस

संभरण मंत्री--श्री हुजरनवीस

सिंचाई और विद्युत मंत्री--डा॰ कु॰ ल॰ राव

योजना मंत्री--श्री ब॰ रा॰ भगत

उपमंत्री

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री--डा० म० मो० दास

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री--श्री शाहनवाज खां

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय मे उपमंत्री--श्री मुहीउद्दीन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री--श्री ब० सू० मूर्ति

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री--श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री--श्री दा० रा० चव्हाण

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री--श्री वे० रा० पट्टाभि रामन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री--श्रीमती चन्द्रशेखर

संभरण विभाग में उपमंत्री--श्री जगन्नाथ राव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री--श्री शामनाथ

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री--डा० द० स० राजू

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री--श्री दिनेश सिंह

विधि मंत्रालय में उपमंत्री--श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री--श्री भगवती

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री--श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री--श्री प्रकाशचन्द सेठी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री--श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री--श्री भक्त दर्शन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री--श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव--श्री शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री डा० एरिंग

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री स० चु० जमीर

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा सचिव--श्री सै० अ० मेहदी

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव--श्री डोडा तिम्मय्या

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, २७ मई, १९६४ / ६ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

Wednesday, May 27, 1964/Jyaistha 6, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य की दशा

STATE OF HEALTH OF PRIME MINISTER

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, बहुत ही दुख के साथ म इस सदन को प्रधान मंयी के स्वास्थ्य की दशा के बारे में सूचना देता हूं जो कि मुझे अभी अभी उन डाक्टरों ने दी है कि प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। आज प्रातः काल ६ बज कर २० मिनिट पर अचानक ही वह बहुत ज्यादा बीमार हो गये हैं। उनकी दशा चिन्ताजनक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-कार्य मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह बता दें कि प्रधान मंत्री महोदय के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हम बहुत ही चिन्तित हैं। वह शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें यह हमारी मनोकामना है।

श्री ही० ना० मुकर्जी उठे —

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस समय कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उस सदस्य का नाम पुकारे जो कि संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करने अथवा प्रतिज्ञान करने आये हैं।

सचिव : श्री विद्याचरण शुक्ल ।

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री सदस्य का सदन से परिचय करायें ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, मुझे श्री विद्याचरण शुक्ल का, जो कि लोक सभा के अपने पहले निर्वाचन के, अवैध को घोषित किये जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर मध्य प्रदेश के महासमद निर्वाचन-क्षेत्र से लोक-सभा के लिये चुने गये हैं, आपसे और आपके द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प संख्यकों की सुरक्षा

\+

*१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० के० देव :
श्री मोहसिन :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों को देखते हुए सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों में सुरक्षित होने का भाव उत्पन्न करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ;

(ख) इन दंगों की जांच करने से किन-किन चिन्ताजनक तथा अच्छी बातों का पता चला है ;

(ग) क्या सरकार ने इसे देखते हुए प्राम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया है; और

(घ) जिला प्रशासन को किस तरह सुदृढ़ बनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२८९१/६४**]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय गृह-कार्य मंत्री को याद होगा कि राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में एक प्रक्रम पर यह नीति थी कि साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, परन्तु चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। विद्यमान साम्प्रदायिक दलों और संगठनों में से किन किन को साम्प्रदायिक समझा गया है और राजनीतिक क्षेत्र से उन्हें अलग करने में सरकार सम्मुख क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

श्री हाथी : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि साम्प्रदायिक भावनाएं इन साम्प्रदायिक दंगों के लिये बहुत हद तक उत्तरदायी तो थीं परन्तु यह भी विचार करने की बात है कि क्या इन पर प्रतिबन्ध लगाने से इस प्रकार के दंगे फसाद रुक जायेंगे। लोग एकत्रित हो सकते हैं; लोगों के समूह एकत्रित हो सकते हैं; यह आवश्यक नहीं है कि साम्प्रदायिक दंग फसादों में केवल राजनीतिक दल ही भाग ले सकते हों। इसलिए इस प्रश्न पर विचार किया जाना है और विचार किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया हे कि किन किन राजनीतिक दलों और संगठनों को साम्प्रदायिक दल अथवा संगठन माना गया है।

श्री हाथी : इसका अर्थ यह होगा कि किन किन दलों ने हाल के साम्प्रदायिक दंगों में भाग लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह एक आम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जब इस मामले में जांच की गई थी कि साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये अथवा नहीं तो क्या कोई ऐसा भी निष्कर्ष निकाला गया था कि ये पे दल साम्प्रदायिक हैं और उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये अथवा नहीं ? कल किन्हीं विशेष दलों को साम्प्रदायिक माना गया था ?

श्री हाथी : जी, नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कुछ सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी यह राय प्रकट की है, हालांकि बहुत थोड़े ही मामले ऐसे हैं, कि यहां अल्पसंख्यक जाति के लोग मत्यु के भय और आशंका में रह रहे हैं। क्या माननीय मंत्री ने इस मामले की पूर्ण रूप से जांच करके स्थिति का साथ मूल्यांकन किया है ? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के जो लगभग १ करोड़ व्यक्ति रह रहे थे उनमें से जो चार लाख व्यक्ति भाग कर भारत आये हैं उनकी तुलना में भारत से पाकिस्तान को अल्पसंख्यक जाति के जो लोग भाग कर गये हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्री हाथी : इस सदन मेंकिसी एक वर्ग के लोगों ने जो अपनी राय प्रकट की थी उसके बारे में गृह-कार्य मंत्री ने दढ़तापूर्वक यह अस्वीकार किया था कि देश में कोई भी ऐसी हालत है जिसमें कि अल्पसंख्यक जातियों के लोग मृत्यु की आशंका को लिये रह रहे हों। उन लोगों का मत गलत है। वास्तव में वे सुरक्षित हैं और मैं नहीं समझता कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण अल्पसंख्यक जाति के किन्हीं लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० के० देव।

श्री बदरुद्दुजा : क्या अल्पसंख्यक जाति के लोगों पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी० के० देव को पुकार लिया है।

श्री प्र० के० देव : मेरे राज्य में, विशेषरूप से रूरकेला में जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे शर्म का अनुभव होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वहां पर संविधान का पूर्णरूपेण उल्लंघन हुआ था और उड़ीसा सरकार उस हत्याकांड की केवल एक दर्शकमात्र रही थी और विशेषरूप से वहां के गृहमंत्री ने रूरकेला से अतिक्षुब्ध टेलीफोन काल्स के प्राप्त होने के बावजूद भी समय पर वहां पर पुलिस नहीं भेजी थी ?

श्री हाथी : मैं यह तो नहीं कह सकता कि संविधान का उल्लंघन हुआ था अथवा नहीं परन्तु यह सच है कि जो कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह समय पर नहीं की जा सकी ।

श्री प्र० के० देव : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बदरुद्दुजा ।

श्री बदरुद्दुजा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बता सकते हैं कि देश में इन भयावह घटनाओं को पुनः न होने देने को रोकने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की गई है और क्या सुरक्षा व्यवस्था है, विशेषरूप से जब कि अल्पसंख्यक जातियों के लोग इन गत १७ वर्षों में यह अनुभव करते रहे हैं कि उनका जीवन और कार्य-स्वातंत्र्य, उनका सम्मान और उनकी सम्पत्ति का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी संरक्षण नहीं किया गया है ? जब तक . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। भाषण न दिया जाये।

श्री हाथी : अल्पसंख्यक जातियों के लोगों में सुरक्षा की भावनाओं को जागृत करने के लिए सरकार ने अनेकों उपाय किये हैं। गृह-कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक जातियों के व्यक्तियों और उनकी सम्पत्ति की किसी भी कीमत पर रक्षा करने की सरकार की सुनिश्चित नीति की अनेकों बार घोषणा की है ।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत में कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं—मैं समझता हूं कि उनकी संख्या बहुत अधिक है—जो कि साम्प्रदायिक भावनाओं की आग को भड़काने का कार्य करते हैं। क्या सरकार के पास उन समाचारपत्रों की कोई सूची है और यदि हां, तो क्या साम्प्रदायिक शांति को की भंग करने के अपराध में सरकार ने उनमें से किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : सरकार ने जो उपाय किये हैं उनमें से एक यह है कि ऐसे समाचारों का प्रकाशन रोक दिया जाता है जिनसे कि साम्प्रदायिक दंगों अथवा भावनाओं के फैलने की आशंका हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक विशेष समाचार पत्र आपात समिति भी है जिसमें समाचारपत्रों के प्रतिनिधि हैं और जो कोई कार्यवाही करनी हो वह उन लोगों के विरुद्ध की जाती है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या अभी तक किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि की गई होती तो उन्होंने बता दिया होता।

श्री दी० चं० शर्मा : समितियां तो हमने लाखों बना रखी हैं। क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Rameshwar Tantia: People are of the view that the statements given by the hon. Home Minister on disturbances in Calcutta were exaggerated basis and Pakistan press made a world-wide propaganda on the basis of those statements that atrocities have been committed to minorities in India. May I know what action Government propose to take in the connection?

Shri Hathi : The statement made by the Home Minister was a factuaal one and not exaggrated. Only the actual position of minorities, as it was, was explained.

डा० रानेन सेन : कुछ दिन पहिले भारत सरकार के कुछ जिम्मेदार मंत्रियों ने जन संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू महासभा को साम्प्रदायिक दलों के रूप में बताया था। क्या भारत सरकार अपने इस कथन से पीछे हट गई है ?

श्री हाथी : प्रश्न यह था : हाल के साम्प्रदायिक दंगों में किन किन दलों ने भाग लिया था और किन किन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया जा रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री गोलवालकर की "हिन्दू राष्ट्र क्यों" जैसी शरारत भरी पुस्तकों के व्यापक परिचालन को दृष्टिगत रखते हुए, जिसकी ओर कि कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने इस सदन में सरकार का ध्यान दिलाया था, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विशेष रूप से कम से कम इस प्रकार के अपकारी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि रूरकेला तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों में ये साम्प्रदायिक दंगे केवल साम्यवादियों द्वारा सर्वदा दिये गये भाषणों के कारण ही हुए हैं और उनका साम्प्रदायिक भावनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था ?

श्री हाथी : जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है इन दंगों का मुख्य कारण यह था कि शरणार्थियों की गाड़ियां वहां होकर गुजरी थीं और उन्होंने पाकिस्तान में उन पर किये गये अत्याचारों की मर्मभेदी कहानियां सुनाई थीं। साम्प्रदायिक भावनाओं वाले कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया और यही इसका मुख्य कारण प्रतीत होता है।

Shri Prakash Vir Shastri: Has the Ministry of Home Affairs tried to ascertain whether some foreign elements have settled among the minorities in India who inspire them for creating such disturbances at times? Have some such cases com e to the notice of the Government and if so, what action is being taken to prevent them?

Shri Hathi: That is also possible. Anti-social and anti-national elements might be indulging in such activities.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि भारत के कुछ भागों में हाल में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, जो कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर एक कलंक के समान थे, वे इस्लाम धर्मप्रधान राज्य पाकिस्तान की सयत्न जाति-विनाश की नीति द्वारा लोगों के भड़क जाने के कारण कुछ हद तक हुए थे और यदि हां, तो क्या भारत सरकार का पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव देने का प्रस्ताव है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी अत्याचारपूर्ण नीति में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये ?

श्री हाथी : यह एक लम्बा प्रश्न था।

श्री हरि विष्णु कामत : इतना लम्बा तो नहीं था।

श्री हाथी : मैं प्रथम भाग भूल गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह पाकिस्तान में अनुसरण की जाने वाली नीति की प्रतिक्रिया के रूप में हुए थे ?

श्री हाथी : अपने पहले उत्तरों में मैं यह बता चुका हूं कि इस देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं वे मुख्यतया वहां पर अल्पसंख्यकों पर किये गये अत्याचारों की प्रतिक्रियास्वरूप हुए थे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में और रूरकेला में तथा उड़ीसा के अन्य भागों में जो दंगे हुए थे उनमें एक ही जैसा ढंग अपनाया गया था और क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि उनके पीछे किन लोगों का हाथ था और क्या श्री गोलवालकर जैसे व्यक्तियों का भी उससे कुछ सम्बन्ध था और क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी उसमें कोई सीधा हाथ था ?

श्री हाथी : जसा कि मैंने कहा है देश के विभिन्न भागों में जो दंगे हुए थे उनका ढंग लगभग एक जैसा ही था। ऐसा मालूम होता है कि साम्प्रदायिक भावनाओं वाले कुछ लोगों का इन दंगों को फैलाने में हाथ था और उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की कठिनाइयों और दुःखों से लाभ उठाकर यह सब कुछ किया था ?

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि विशेष रूप से सिखों ने और सामान्यतः अन्य नागरिकों ने हाल ही के दंगों में मुसलमानों के प्रति अच्छी पड़ौसियों की भावना निबाही थी और यदि हां, तो क्या सरकार के विचार में साम्प्रदायिक भावनाओं से पूर्ण राजनीति इन दंगों के लिए उत्तरदायी है अथवा कोई राजनैतिक दल विशेष इसके लिए उत्तरदायी है ?

श्री हाथी : भारत में हिन्दुओं, सिखों तथा अन्य कई दूसरी जातियों के लोगों ने अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया इसके अनेक उदाहरण हैं। एक मामले में, एक जाति के व्यक्ति ने १९ मुस्लिमों को शरण दिया; दूसरे मामले में १०० मुस्लिमों का संरक्षण किया। विभिन्न जातियों के विभिन्न लोगों ने अल्पसंख्यकों को पनाह देने और उनकी मदद करने का सत्कार्य किया है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : उन अफवाहों का विरोध करने या दबाने के लिए जिन में बाहर से आये हुए लोगों या इस देश के नागरिक दुराचारियों ने छोटी छोटी घटनाओं को अतिरंजित किया है, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : इस विपत्ति के कारण का विश्लेषण करते हुए हम ने यह महसूस किया है कि लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने में इन अफवाहों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसलिए हम इस बात के लिए कदम उठा रहे हैं कि ये अफवाहें न फैलें ।

Economy in Education Ministry

*2. +
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri S.C. Samanta:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Daji:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the Committees and Sub-committees under his Ministry that have been wound up and the manner in which their work would be completed; and

(b) the various steps taken to bring about economy and efficiency in the working of the Ministry?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) A statement giving the names of the Committees and Sub-committees which have been wound up is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library** *See* **No. LT 2892/64**].

Many of these Committees had outlived their usefulness; others were doing work which was the responsibility of some other Committee. The work of committees not coming under either of the above categories will be completed either by the Ministry or by other committees already in existence.

(b) A statement giving this information has already been laid on the Table of the Lok Sabha in reply to Starred Question No. 318 answered on the 26th of February 1964.

Shri M. L. Dwivedi: I would like to know whether there are any Committees other than those which have already been wound up and the list of which has been laid on the Table of the House, that are proposed to be wound up by the Ministry, and if so, the names of those Committees and when they would be wound up.

Shri M. C. Chagla: Yes Sir, I am thinking over it. Besides these Committees, there are several other Committees which are unnecessary and which should be wound up.

Shri M. L. Dwivedi: I would like to know the amount of saving every year that would result due to winding up of these Committees and other economy measures.

Shri M. C. Chagla: I have not calculated the actual amount of saving but there would be a saving of lakhs of rupees.

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन समितियों तथा उपसमितियों को समाप्त कर देने से कार्य-क्षमता पर कोई असर पड़ेगा ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि कई समितियां मदद करने की बजाय मंत्रालय की नीति को कार्यान्वित करने में रुकावटें पैदा करती हैं। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि कई समितियों को समाप्त कर देने से कार्यक्षमता बढ़ेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह कहा गया है कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति भी समाप्त कर दी गयी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस समिति का कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है क्योंकि इस समिति की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए काफी देर हो चुकी है।

श्री मु० क० चागला : यह श्री प्रकाश समिति है। उसकी अधिकांश सिफारिशें विभिन्न राज्यों को भेज दी गयी थीं और उनकी राय मांगी गयी थी। जहां तक संभव था उन्हें कार्यान्वित किया गया है। जो कार्यान्वित नहीं हुई हैं उन पर मंत्रालय विचार करेगा।

डा० पं० शा० देशमुख : चूंकि देश में संयुक्त उत्तरदायित्व है और मंत्री महोदय मंत्रिमंडल के पूर्ण सदस्य हैं, क्या दूसरे विभागों में इसी प्रकार समितियां समाप्त करने की उन्होंने सिफारिश की है ?

श्री मु० क० चागला : देश में संयुक्त उत्तरदायित्व है और मुझे मंत्रिमंडल का सदस्य होने का सौभाग्य भी प्राप्त है लेकिन अन्य मंत्रियों को यह सुझाव देना कि वे अपने मंत्रालय किस प्रकार चलायें, मेरी राय में संयुक्त उत्तरदायित्व का अंग नहीं है।

Shri Rameshwaranand: The hon. Minister has stated that such Committees as have been considered unnecessary, are being wound up. I would like to know why such unnecessary Committees were framed at all. Was it only to waste the country's wealth?

Shri M. C. Chagla: I have not formed them.

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

*३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोहाटी तेल शोधक कारखाने के प्रसार के लिए रूमानिया सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इलगेश) : (क) विस्तार की योजना की छानबीन हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नि० रं० लास्कर : नये विस्तार एकक की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कितनी होगी और यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री अलगेशन : वर्तमान क्षमता ७.५ लाख टन है। उसे १० लाख से १२.५ लाख टन तक बढ़ाने का विचार है। यह विस्तार तीसरी योजना के आखिर तक पूरा हो जाएगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या पिछले साल उत्पादन कम हुआ था; यदि हां, तो क्या कारण थे और उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अलगेशन : यह सदन में काफी विस्तार से बताया जा चुका है। अगस्त से उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। नवम्बर में, ब्रह्मपुत्र के बहाव के कारण लगभग तीन हफ्तों तक काम रुक गया था। बाद में उत्पादन शुरू हुआ और अब हम लगभग पूरी क्षमता तक उत्पादन कर रहे हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : रुमानिया सरकार के साथ करार की शर्तें क्या हैं, क्या भारत सरकार ने रूमानिया सरकार से कोई ऋण मांगा है और यदि हां तो वह किस तरह चुकता किया जाएगा ?

श्री अलगेशन : इन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेम बरूआ : इस बात को देखते हुए कि गोहाटी शोधक कारखाने को काफी कठिनाइयां हो रही हैं जैसे किरोसीन एकक बन्द पड़ गया था, क्या शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर चर्चा करते समय सरकार उत्पादन के हानि-लाभ को हिसाब में ले रही है ?

श्री अलगेशन : इन सब को ध्यान में रखा जाएगा और हम लागत को यथासंभव कम करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या विस्तार के बाद, शोधक कारखाने को उसी क्षेत्र से ज्यादा तेल मिलेगा या उसके लिये दूसरी जगहों से तेल प्राप्त करना होगा ?

श्री अलगेशन : हमें उसी स्रोत से अतिरिक्त मात्रा में अशोधित तेल मिलता रहेगा। आयल इंडिया तेल उत्पादन कर रहा है और यह तेल भी इसी शोधक कारखाने में साफ किया जाएगा।

अनुसंधान केन्द्र

+
*४. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में नये अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अनुसन्धान केन्द्र स्वतन्त्र होंगे या विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होंगे;

(ग) उन पर कितना व्यय होगा;

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने अनुसन्धान केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ङ) नये केन्द्र कब काम करना आरम्भ कर देंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

वैज्ञानिक उपकरण तथा मशीन

\+

*५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दाजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के १९६२-६३ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की ओर गया है जिसमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिये खरीदे गये वैज्ञानिक उपकरणों तथा मशीनो के १३ वर्ष तक बेकार पड़े रहने के उदाहरण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी गलतियां फिर न हों क्या इसके लिए कड़ी हिदायतें दे दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां । लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल एक ही ऐसे उदाहरण का उल्लेख हैं जहां कुछ साजसामान खरीदा गया था और १३ साल तक जिस का इस्तेमाल नहीं किया गया ।

(ख) यह उस समय हुआ जब संबंधित संस्था स्थापना की प्रारम्भिक दशा में थी ।

(ग) साजसामान की खरीद के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली ब्योरेवार हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं ।

Shri Yashpal Singh : Why the Solar Cooker manufactured by the National Physical Laboratory has been abandoned? What is the amount of loss incurred on that account?

Shri M. C. Chagla : This question does not arise out of it but I would see the audit report and if it contains....

Mr. Speaker: Was the Solar Cooker lying outside?

Shri Yashpal Singh: That scheme has been abandoned....

Mr. Speaker: The present question relates to equipments....

Shri Yashpal Singh: What is the amount of loss incurred thereon....

Shri M. C. Chagla : As regards loss, it is thousand rupees. The reason for not using the equipment for thirteen years was that there were several laboratories when this laboratory was to be started and this machinery was to be used in it. But later on it was learnt that it was not required. But it might probably be utilisebed in those national projects that are coming up.

श्री कपूर सिंह: क्या सरकार द्वारा अब तक दी गयी अनुसन्धान संस्था विषयक सुविधाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तथा लागत के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

श्री मु० क० चागला: हमारी अनसन्धान संस्थाओं ने सर्वोत्कृष्ट परिणाम दिखाये हैं जिन पर देश को गर्व हो सकता है। जैसाकि मैंने पिछली बार बताया था, मै एक पुस्तिका जारी करने जा रहा हूं जो प्रत्येक संसद्-सदस्य को प्राप्त होगी और जिसमें यह बताया गया है कि हमारी प्रयोग-शालाओं ने क्या क्या अजीब काम किये हैं और कितने अच्छे वैज्ञानिक हमारे पास हैं जिन पर देश को गर्व होना चाहिये।

श्री स० चं० सामन्त : मरम्मत के बाद इसमें से कितनी मशीनरी का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है ?

श्री मु० क० चागला मेरे पास यहां आंकड़े हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने मश्किल से १ प्रतिशत मशीनरी का आर्डर दिया था। ३१ मार्च, १९६३ के अन्त तक ९१२ लाख पये के संयंत्र और मशीनों का आर्डर दिया गया था। इसमें १९६२–६३ के लिए १३२.३४४ लाख रुपया भी शामिल है। १९६२–६३ की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित सामान की मदें लगभग १.५९५ लाख रुपये की थीं जो ३१ मार्च १९६३ तक आर्डर दिये गये सामान की कुल लागत के ०.१०७ प्रतिशत और १९६२–६३ में खरीदे गये सामान की लागत के लगभग १ प्रतिशत के बराबर हैं। इसलिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन वर्षों में की गयी खरीद के सिर्फ १ प्रतिशत की आलोचना की गयी है। मेरी समझ में यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनसन्धान परिषद् और प्रयोग-शालाओं का बहुत अच्छा कार्य है।

श्री रंगा : पिछले अधिवेशन में एक अनपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि एक समिति नियुक्त की गयी है जो अनुसन्धान केन्द्रों के काम की जांच पड़ताल कर रही है ताकि उन के सुधार के लिए सिफारिशें की जा सकें। अब वे कहते हैं कि उन का काम बहुत अच्छा है, उन अनुसन्धान केन्द्रों में सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं और वे बहुत शीघ्र एक पुस्तिका निकालने जा रहे हैं। तो क्या हम यह समझें कि वह समिति पहले ही सिफारिश कर चकी है और क्या उसी के आधार पर वह पुस्तिका निकालने जा रहे हैं या स्वतंत्र रूप से निकाल रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : ये दो बातें अलग अलग की जानी चाहिये। मैंने कुछ समय पहले सदन में बताया था कि हमने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनसन्धान परिषद् के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्चसत्ता प्राप्त समिति नियक्त की है। उस समिति में देश के तथा विदेश के वैज्ञानिक थे और उस रिपो की प्रतीक्षा है। जो पुस्तिका निकालने की मैं सोच रहा हूं उस से संसद् सदस्यों को यह मालूम होगा कि इन प्रयोगशालाओं के काम के निश्चित और ठोस परिणाम क्या हैं। इससे उस समीक्षा समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह समिति हमें बतायेगी कि क्या दोष हैं और वह कैसे दूर किये जा सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय का ध्यान युगोस्लाविया के वैज्ञानिक श्री स्टीफेन्स डेजर के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि भारत में अनसन्धान केन्द्रों में राजनीति का अत्यधिक बोलबाला है, और यदि हां, तो उस विषय में सरकार की क्या राय है ?

श्री मु० क० चागला : मेरा ख्याल यह है कि प्रत्येक जगह अत्यधिक राजनीति है। मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि मैं शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान के सभी क्षेत्रों से राजनीति को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि कुछ प्रयोगशालाओं में साजसामान की कमी के कारण काम का नुकसान हो रहा है?

श्री मु० क० चागला : जी हां, माननीय सदस्या ठीक कह रही हैं। वह विदेशी मुद्रा संबंधी हमारी कठिनाई की वजह से है। हम आवश्यक सभी सामान नहीं प्राप्त कर सके हैं। यहां जो कुछ भी तैयार किया जा सकता है, हम उसे प्राप्त करते हैं। जो विदेशों से मंगाना है, वह विदेशी मुद्रा पर निर्भर है और दुर्भाग्यवश हम अपनी जरूरत की पूरी पूरी मद्रा प्राप्त नहीं कर सकते।

Shri Yashpal Singh: I would like to know how many letters regarding the extent of loss in different laboratories have been received and the action taken thereon? How much loss has been incurred?

अध्यक्ष महोदय : वह विभिन्न प्रयोगशालाओं के नुकसान के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का आशय किस नुकसान से है। प्रयोगशालाएं अनुसन्धान कार्य और परियोजना कार्य करती हैं। कभी कभी परियोजना का परिणाम लाभदायक खोज के रूप में सामने आता है जो उद्योग के लिये सहायक होता है; कभी ऐसा नहीं भी होता। लेकिन अनसन्धान तो जारी रखना ही होगा। अनसन्धान इस निश्चित कल्पना से नहीं चल सकता कि उस को परिणाम अवश्य ही दिखाने होंगे अनुसन्धान ज्ञान के विस्तार के लिए है। ज्ञान के विस्तार से कभी कभी उद्योग को मदद मिलती है, कभी कभी नहीं।

Shri Yashpal Singh: What is the loss due to machinery having got rusted?

Shri M. C. Chagla: I am not aware of that. If you give notice, I shall reply.

श्री प्रिय गुप्त : माननीय शिक्षा मंत्री ने पहले बताया था कि इन समितियों से कोई लाभ नहीं है, बल्कि वे मंत्रालयों के सुचारू कार्य में बाधक होती हैं और इसीलिये उन समितियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन उन्होंने अभी हाल में बताया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनसन्धान परिषद् के कामकाज की जांच पड़ताल के लिए एक उच्चसत्ता प्राप्त समिति नियुक्त की जा रही है। तो क्या यह सिर्फ समिति के सदस्यों को बदलने के लिए उन्होंने इसे विघटित किया है और पुनर्गठित किया है?

श्री मु० क० चागला: जी नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के नियमों के अनुसार, भारत के और बाहर के लोगों की एक समीक्षा समिति समय समय पर नियुक्त करनी होती है ताकि वह इस बात का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कहां तक कुशलता और सफलता से काम कर रही है। यह समीक्षा समिति उन नियमों के अनुसार ही नियुक्त की गयी है। मैंने यह कोई नयी चीज नहीं चालू की है।

राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा

+

*६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संयंत्रों को सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा दल बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब होगी ; और

(ग) इस सुरक्षा दल की स्थापना में कुल अनुमानित व्यय क्या होगा और इसके लिये कितने लोग भर्ती किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन संयंत्रों के संरक्षण के लिए एक सशक्त पुलिस बल तैयार करने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह एक केन्द्रीय सुरक्षा सेना संबंधी योजना के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करें । कुछ राज्य सरकारों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : पूर्व इस के कि यह बल स्थापित किये जायें, क्या राज्य सरकारों ने इन के लिये सहमति प्रकट की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : गत मार्च में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस समूचे प्रश्न पर चर्चा हुई थी और वह सहमत हुए हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के प्रकार के एक ऐसे बल की आवश्यकता है । इसलिये वह इस प्रस्ताव के सिद्धान्त पर सहमत हो गये हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राज्य सरकारों की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस के लिये उन्होंने क्या तर्क दिया है, और उस विरोध के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुख्य मंत्रीगण सम्मेलन में इस प्रकार के बल के तैयार किये जाने के बारे में सैद्धान्तिक दृष्टि से सहमत हो गये थे । इसलिए राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रस्ताव का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा कुछ अन्य राष्ट्रीय संयंत्रों के अपने अपने सुरक्षा बल हैं ; और यह सुरक्षा बल क्या

सम्बद्ध संयंत्रों द्वारा बनाये गये हैं अथवा क्या उन का केन्द्रीय सरकार के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रत्येक इस्पात संयंत्र तथा बड़े औद्योगिक संयंत्र का लगभग वाच एन्ड वार्ड की प्रकार का अपना सुरक्षा बल है । अब हम चाहते हैं कि अधिक संगठित प्रकार का बल हो । इसी कारण प्रस्तावित बल तैयार किया जा रहा है ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि इन बलों के लिये अलग और स्वतंत्र रूप से भर्ती की जायेगी या सम्बद्ध राज्य सरकारें अपने पुलिस पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध करेंगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक स्वतंत्र संगठित निकाय होगा । इस विषय में निर्णय अभी लिया जाना है कि इन के लिये भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाए अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

श्री कपूर सिंह : प्रस्तावित सुरक्षा बल का कार्मिक संघ के गुट बन्दियों के दोष से बचाने के लिये जैसे दोष कि राष्ट्रीय संयंत्रों के वर्तमान प्रबन्धों में पाये जाते हैं, क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इन्हें कार्मिक संघ अधिनियम की सीमा में न लाये जाने के लिये एक प्रस्ताव है । कार्मिक संघ अधिनियम में संशोधन लाने सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सुरक्षा बल और राज्य सरकार में विवाद हो गया था, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बलों को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वित करने और उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने का अधिकार देने का प्रयत्न किया है । ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इस विशेष घटना का तो ज्ञान नहीं है परन्तु इस प्रकार के समायोजन के लिये निस्सन्देह एक प्रस्ताव है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा कि कार्मिक संघ अधिनियम को संशोधित करने की सम्भावना है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसा संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं और क्या सभी केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय संयंत्रों को केन्द्रीय विधान की सीमा में लाया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं । इस अवस्था में हमारा इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । जहां तक केन्द्रीय सुरक्षा बल का सम्बन्ध है इसे कार्मिक संघ अधिनियम की सीमा में नहीं लाया जाएगा । सभी राष्ट्रीय संयंत्रों को केन्द्रीय विधान की सीमा में लाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has it come to the notice of the hon. Minister that theft cases have increased all the more, ever since the establishment of a Security Force in the Railway Department?

Shri L. N. Mishra : I do not agree with this view.

पेट्रो-केमिकल उद्योग

+

*७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास के बारे में कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). पेट्रो केमिकल संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिये गये ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और सरकार इस बारे में कब तक निर्णय ले सकेगी ?

श्री अलगेशन : प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया गया था और हमने इस पर निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लिया है । निर्णय लेने में थोड़ा और समय लिये जाने की सम्भावना है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन पर विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है या कुछ विभागातिरिक्त लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझ सका कि विभागातिरिक्त लोगों से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है । इस बारे में सचिवों की उत्पादन समिति ने अच्छी तरह विचार किया था । अब मंत्रिमंडल की अर्थ समिति इस पर विचार करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जायगा ।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know the number of members of of their Working Group, and also, if there is any foreigner among them?

श्री अलगशन : कुल दस सदस्य हैं । इन में विदेशी कोई नहीं है ।

डा० रानेन सेन : कुछ मास पूर्व यह खबर आई थी कि भारत सरकार ने पेट्रो-केमिकल उद्योग के बारे में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की थी । क्या फ्रांसीसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के साथ ही है या उन्होंने अलग प्रतिवेदन दिया है ?

श्री अलगेशन : पहले फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन दिया और फिर कार्यकारी दल ने उन सिफारिशों पर विचार करके अपना सिफारिशें दी हैं । बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें कई नई बातें भी कहनी थीं ।

श्री जसवन्त मेहता : मैं जानना चहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल की अर्थ समिति में भी इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया और, यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री अलगेशन : इस समिति में अभी प्रतिवेदन पर विचार किया जाना है ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या चौथी योजना में सम्मिलित किन्हीं योजनाओं का अनुमान भी लगाया जा रहा है और क्या उनके बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है और, यदि हां, तो किस पेट्रो-केमिकल उद्योग के बारे में ?

श्री अलगेशन : जहां तक बम्बई के औद्योगिक समूहों का सम्बन्ध है कई उद्योगों के लिये या तो लाइसेंस दिये गये हैं या अनुमति दे दी गयी हैं । बम्बई, बरौनी तथा आसाम में एक एक उद्योग के लिये अनुमति दी जा चुकी है ।

श्री हेडा : श्री ख्रुश्चेव ने पेट्रो-कैमिकल उद्योगों के बारे में अपने हाल ही के एक वक्तव्य में यह कह कर उन्हें एक नवीन विस्तार दिया है कि कृषि उत्पादन के लिये वह उपयोगी एवं सहायक हैं । क्या इस कथन दृष्टि से इस प्रतिवेदन पर अविलम्ब विचार किया जायगा ?

श्री अलगेशन : मैंने बताया है कि उस पर विचार हो रहा है ।

ईराक और कुवैत में तेल सम्बंधी रियायतें

*८. **श्री जं० व० सिंह बिष्ट :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक और कुवैत ने तेल सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न फलीभूत हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक और वहां से अनुमानतः कितना अशोधित तेल मिलेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जं० व० सिंह बिष्ट : इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : अभी हमारी बातचीत चल रही है । जहां तक कुवैत का सम्बन्ध है, हमने एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा है और उनके प्रतिनिधि भी यहां आये थे । उनके साथ अभी बातचीत चल रही है । जहां तक ईराक का सम्बन्ध है उनके साथ अभी अभी बातचीत आरम्भ हुई है । अभी बातचीत अन्तिम प्रक्रम तक नहीं पहुंची ।

डा० रानेन सेन : गत बजट सत्र में श्री कबिर ने कहा था कि पेट्रो-कैमिकल उद्योग की स्थापना के बारे में कुवैत के प्राधिकारियों से आशाजनक ढंग से पत्र-व्यवहार चल रहा है । अब वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री अलगेशन : मैंने भी यही कहा है कि पत्र-व्यवहार चल रहा है । समन्वेषण के प्रयोजनार्थ हम उस देश से भागिता करना चाहते हैं और उन्होंने भी हमारी तेल शोधन परियोजनाओं में भाग लेने के लिये दिलचस्पी जाहिर की है । इन सब बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्र-व्यवहार कुवैत और इराक की सरकारों से हो रहा है या यहां पर तेल की खोज करने वाले विदेशी समवायों के साथ, यदि विदेशी समवायों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है तो कोई समझौता हो जाने पर उनसे कुछ रियायतें प्राप्त करने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अलगेशन : कुवैत में हम एक ऐसे समवाय से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं जिसमें सरकार का काफी अधिक हाथ है। इसी कारण सरकार कुवैत नेशनल कम्पनी में दिलचस्पी रखती है। ईराक में अभी पत्र-व्यवहार आरम्भ हुआ ही है। जब उनके साथ बातचीत होगी तभी हमें वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

श्री जं० ब० सिंह बिष्ट : क्या हम जान सकते हैं कि सरकार किस समवाय में अधिक दिलचस्पी रखती है और खोज का काम किस क्षेत्र तक सीमित होगा ?

श्री अलगेशन : उस समवाय का नाम कुवैत नेशनल पैट्रोलियम कम्पनी है।

श्री जं० ब० सिंह बिष्ट : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने सुना नहीं है।

Shri Tulshi Das Jadhav: May I know the total consumption of Petrolium in our country and the quantity which is produced here, as also the quantity imported?

Mr. Speaker: This is too general a question.

राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन

+

*६. { श्री मुथिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यें० वेंकटासुब्बया :
श्री तन सिंह : }

क्या शिक्षा मंत्री ६ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

777 (Ai) L.S.—4.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तथा (ख). सम्मेलन के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और जो निर्णय लिये जायेंगे उन की एक प्रति यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्री मुथिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन में इस बात पर सहमत हो गये थे कि अन्त में स्कूलों में १२ वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाय और धीरे धीरे विश्वविद्यालय-पूर्व श्रेणियां कालेज की बजाय स्कूल में कर दी जायें ?

श्री मु० क० चागला : यही निर्णय लिया गया था कि एक १२ वर्षीय पाठ्य-क्रम और एक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम होना चाहिये । परन्तु कुछ राज्यों ने विश्वविद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम अपनाया हुआ है । हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि जो काम वास्तव में स्कूलों में होना चाहिए वह विश्वविद्यालयों को करने के लिये न कहा जाय और शिक्षा काल की अवधि की बजाय अधिक बल शिक्षा के स्वरूप पर दिया जाय । यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की गयी थी कि धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम को हटा दिया जाय और १२ वर्षीय पाठ्य-क्रम अपनाया जाय । परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा । इस चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र ने राज्यों को सहायता देना मान लिया है ।

श्री मुथिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री अखिल भारतीय शिक्षा सेवा तथा माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना पर सहमत थे ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना को सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है । अब हम इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि विभिन्न राज्य इस सेवा के कौन से पद स्वीकार करेंगे । माध्यमिक शिक्षा आयोग संविधान का प्रश्न है । इसे विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है और हम उनके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम संयुक्त समिति के निर्णय की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं जोकि किसी भी समय हमें प्राप्त हो सकता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या देश के विभिन्न भागों में ६ से ११ वर्ष के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के बारे में कोई फैसला किया गया है, यदि हां, तो यह लक्ष्य कब तक पूरा होगा, और उसके लिये केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

श्री मु० क० चागला : दुर्भाग्यवश कुछ एक राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं । कुछ राज्य प्रगति कर रहे हैं । हमने अपने सामने यह लक्ष्य रखा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष की आयु का प्रत्येक बालक स्कूल में होना चाहिए । मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं । लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकतर राज्य ऐसा कर पायेंगे ।

Shri Vishwanath Pandey: May I know whether the three language formula was considered in the Education Ministers' Conference, if so, the progress made therein and the States where this programme is being implemented ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में त्रै-भाषी सूत्र पर कोई अधिक चर्चा नहीं हुई थी ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया कि १२ वर्षीय पाठ्यक्रम चालू करने के लिये राज्यों को केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जायगी । इसके लिये विभिन्न राज्यों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जायगा ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय मामलों के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुई और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इस बात पर सहमत थे कि एक नयी व्यवस्था अपनाई जाय जिसके अधिक अच्छे परिणाम निकलें ।

Shri Siddheshwar Prasad: Was there any proposal in the Conference to do away with the matching grant as a result of which many States have not been able to take full advantage of the Grant being given by the Centre ?

Shri M. C. Chagla: It is a fact that matching grant has not been successful and every body agreed that it should be replaced by direct grant from the Centre.

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या राज्य के मंत्रियों ने केन्द्र से अध्यापकों का प्रशिक्षण, विज्ञान-शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी अग्रिम अनुसंधान और विकास जैसे कुछ विषयों की सिफारिश की; यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : अभी से इस बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता । शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन पिछले महीने ही हुआ था और जिन विषयों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वे केन्द्रीय पोषित होंगे । केन्द्र इस मामले को सफल बनाने के लिये सभी प्रकार से प्रयत्न करेगा और सहायता देगा ।

Dr. Govind Das: Was any decision taken in the Conference as to which language should be made medium of instruction in different subjects?

Shri M. C. Chagla: The medium of instruction was not referred to in this Conference. This is a controversial subject and we were not of the opinion to discuss this in this Conference. Perhaps, a second Conference will be called for this purpose.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने केन्द्रीय मंत्री को इस भावना का आदर किया कि शिक्षा का विस्तार किया जाये और इसमें सुधार किये जायें लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके लिये धन की व्यवस्था केन्द्र करे; यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री ने उनको बतलाया कि राज्य सरकारों को भी निधि एकत्र करने का प्रयत्न करना चाहिये अथवा शिक्षा मंत्री ने निधि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया ?

श्री मु० क० चागला : हर राज्य शिक्षा मंत्री की यह आम शिकायत है कि उनके पास काफी निधि नहीं है और उनको हम निधि दें । इस सम्मेलन में इसी आम बात का पता चला । लेकिन हमने यह कहा कि केन्द्र शिक्षा के उच्च स्तर पर सहायता देगा; विस्तार का काम राज्यों का रहेगा ।

आखिरकार, शिक्षा एक राज्य का विषय है, यह केन्द्र का विषय नहीं है । लेकिन हम ने कहा कि यदि वे शिक्षा के स्तर में सुधार कर लें तो केन्द्र सहायता देगा ।

Shri Prakash Vir Shastri: The Education Minister once informed this House that the primary and higher secondary school-teachers were getting the lowest salaries in Uttar Pradesh. I want to know whether some talks were held with the U.P. Education Minister in this conference on this subject and, if so, whether certain instructions were given to him in this respect ?

श्री मु० क० चागला : हमने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से अपील की है कि शिक्षकों के लिये समान वेतन रखा जाये लेकिन उत्तर प्रदेश और अन्य सरकारों से उत्तर मिला कि जब तक अनुदान कम मिलता रहेगा और राज्य को ५० प्रतिशत देना होगा तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते; अतः हमें इस पर विचार करना होगा कि हम वेतन बढ़ाने और अनुदान बढ़ाने की दिशा में क्या कर सकते हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : शिक्षा मंत्री जी ने इस सभा में विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी का समान स्तर लागू करने के बारे में आश्वासन दिया था । इस बारे में राज्यों पर दबाव डालने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मु० क० चागला : एक मामला जिस पर विचार किया गया और अधिकांश राज्यों के शिक्षा मंत्री सहमत थे, यह था कि अंग्रेजी और विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये, जिनके बारे में अधिकांश राज्य पिछड़े हुए हैं और अंग्रेजी की शिक्षा का स्तर गिर रहा है, विशेष कदम उठाये जायें । अंग्रेजी अथवा विज्ञान के लिये हमारे पास आवश्यक संख्या में अध्यापक नहीं हैं । इस बारे में शिक्षा मंत्री एकमत थे कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिये । हमने यह सुझाव दिया कि अंग्रेजी और विज्ञान के अध्यापकों को कुछ अधिक वेतन दिया जाये ।

श्री ब० कु० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों ने हाई स्कूल पाठ्यक्रम को हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम से प्राथमिकता दी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे राज्य अब अपनी यह राय बदलने को सहमत हैं कि हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम हाई स्कूल पाठ्यक्रम से उत्तम है और वे १२ वर्षीय पाठ्यक्रम अपनायेंगे ?

श्री मु० क० चागला : हम सभी राज्य सरकारों पर यह जोर डाल रहे हैं कि हमने जो तरीका सुझाया है, वही ठीक है । हर राज्य ने अभी हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनाया है । लेकिन हमने उन्हें बता दिया है कि यदि वे हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाते हैं, तो हम उन्हें सहायता देंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री इस सुझाव को मानने में किस हद तक राजी हो गये हैं कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में रखा जाये ?

श्री मु० क० चागला : इस सम्मेलन में इस सुझाव को माने बिना ही, हमने शिक्षा मंत्रियों को इस बात पर राजी कर लिया है कि शिक्षा का विषय समवर्ती विषय हो क्योंकि कई महत्वपूर्ण मामलों पर वे केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप को राजी हैं ।

डा० मा० श्री अणे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री धन की कमी के कारण हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम अपनाने में हिचक रहे हैं ? क्या ऐसी बात है कि यदि उनको धन मिल जाये तो वे इसे आरम्भ कर देंगे ? क्या उन्होंने केवल यही कारण बताया है ?

श्री मु० क० चागला : यह भी एक कारण है। धन तो हमेशा उपलब्ध रहता है। यदि राज्य ५० प्रतिशत की व्यवस्था कर सकें तो हम उन्हें ५० प्रतिशत देंगे। उनके पास धन नहीं है। अध्यापकों की कमी है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know whether this conference discussed the ways and means to maintain a high standard of character among primary-school tearchers as moral decadence has been noticed among them which has bad effect on students ? If so, the decision taken in this respect ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। इस बारे में विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई।

भ्रष्टाचार

\+

*१०. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या मंत्रियों के तथा राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों से निबटने की कार्यप्रणाली भी तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) और (ख) का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). इस मामले पर शीघ्रता से विचार किया जा रहा है ताकि शीघ्र ही निर्णय किया जा सके।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने पूर्णतः इस बात को महसूस कर लिया है कि सेवाओं में तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार को तब तक समाप्त अथवा न्यूनतम नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च राजनीतिक अथवा मंत्रियों के स्तर पर, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न हो और, यदि हां, तो सरकार को प्राप्त सन्तानम समिति की सिफारिशों पर विचार करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? यह प्रतिवेदन एक महीने से भी अधिक हुए, प्राप्त हुआ था।

श्री हाथी : मैंने बताया है कि सरकार इस पर शीघ्रता से विचार कर रही है। ये सिफारिशें संसद्-सदस्यों, विधायकों और राजनीति दलों की आचार संहिता के बारे में हैं। आज प्रातः गृह-कार्य मंत्री ने इस संसद् के विभिन्न दलों के सभी नेताओं को इस विशेष प्रश्न पर बातचीत करने के लिये बुलाया था। दुर्भाग्यवश, प्रधान मंत्री जी के बीमार पड़ने पर उन्हें वहां जाना पड़ा। लेकिन हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस बारे में इन खबरों में कोई सत्यता है कि सन्तानम समिति के प्रतिवेदन में जिन निरोधात्मक और दंडनीय उपायों का सुझाव दिया गया है, उन पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल एकमत नहीं है और यदि उत्तर नकारात्मक है तो क्या संसद् को इस बारे में सरकार का निर्णय बताया जायेगा ?

श्री हाथी : पता नहीं कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई। हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे और शीघ्र ही कोई निर्णय करेंगे।

Shri Sarjoo Pandey: Which of the recommendations of the Santhanam Committee are proposed to be implemented by the Government ?

Shri Hathi : Certain recommendations of the Santhanam Committee are such which require legislative changes ; certain others require constitutional changes and certain recommendations require changes in the Civil Servants Conduct Rules. Such of the recommendations as could be implemented forthwith, are being implemented. The Ministry of Home Affairs has discussed this matter with all the other ministries and they have been asked to implement all those specific recommendations which could be implemented.

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस सभा के बाहर और सभा के भीतर मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को, जो अंशतः भ्रष्टाचार के बारे में हैं, ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का उन मामलों की छानबीन करने और उन पर शीघ्र निर्णय करने का कोई इरादा है अथवा व्यवस्था की है ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि कई मामले लटक रहे हैं और कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में कुछ करना चाहती है ?

श्री हाथी : यह भी सिफारिश है और इस समय जो व्यवस्था है उसकी गृह-कार्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि जहां कि गृह-कार्य मंत्री ने—जिन्होंने दो वर्ष से भी कम के समय में भ्रष्टाचार-उन्मूलन के अपने इरादे को दोहराया है—सदाचार समितियों जैसा निकाय बनाये है, जिनका संसद्, संविधान और प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनको भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सभी सुविधायें और संसाधन दिये गये हैं, संसद् द्वारा बनाये गये एक निकाय, अर्थात् भारत के सतर्कता आयुक्त, को न तो पर्याप्त कार्यालय स्थान दिया गया है और न पर्याप्त संख्या में कर्मचारी दिये गये हैं और वह अपना कार्य करने में बड़ी असुविधा महसूस कर रहे हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में कोई शिकायत की है ?

श्री हाथी : जहां तक सदाचार समितियों का सम्बन्ध है ये गैर-सरकारी निकाय हैं और उनका मुख्य कार्य एक वातावरण पैदा करना है। एक जनमत बनाना है और लोगों की शिकायतें सुनना है और फिर सतर्कता आयोग को बताना है। ऐसा नहीं है कि सदाचार समिति केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके अधिकारों और क्षेत्राधिकार से वंचित करने के लिये है। उनका काम शिकायतें

सुनना और जनमत बनाना है। यदि शिकायतें मिल जाती हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मिलते हैं और फिर सतर्कता आयोग हर मामले के गुण-दोष को देखते हुए आगे जांच के आदेश देता है और उस का निर्णय करता है।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मेरा प्रश्न और था कि क्या वैधानिक और संवैधानिक निकाय सतर्कता आयोग को सभी सुविधाओं और निधि जैसे आवास और कर्मचारी, से वंचित रखा गया है . . . .

श्री हाथी : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न के उस भाग का उत्तर देना भूल गया।

अध्यक्ष महोदय : जब एक साथ कई प्रश्न पूछे जायें और प्रश्न लम्बा हो जाये तो मंत्री महोदय प्रश्न के केवल उन्हीं भागों का उत्तर दे सकते हैं जो उन्हें याद रहें और जिन्हें वे समझते हों।

श्री हाथी: सतर्कता आयोग को पूरे संसाधन उपलब्ध हैं और उनको पूरी सुविधाएं प्राप्त हैं और उनको शिकायतें मिलती रही हैं और वह उनकी जांच करते रहे हैं और परामर्श देते रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether any action will be taken for the uproot of corruption prevalent among the central and State ministers ?

Shri Hathi : The question asked regarding the recommendations of the Santhanam Committee relates to the same thing.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*११. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुरूप एक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चलाने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या योजना की अन्तिम उपलक्षणायें तैयार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालिजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये स्वास्थ्य सेवा की स्थापना करने

के हेतु योजना तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति अपना कार्य जन १९६४ में आरम्भ करेगी।

सीमावर्ती राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि

*१२. श्री राम हरख यादव :
श्री वसवन्त :
श्री श० ना० चतुर्वदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में १९५१ से लेकर १९६१ तक की अवधि में मुसलमानों की जनसंख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में सामान्य रूप से कितनी वृद्धि हुई है तथा वह कितने प्रतिशत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां; कुछ सीमावर्ती राज्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	१९५१	१९६१	वृद्धि की प्रतिशतता
भारत में मुसलमानों की कुल जनसंख्या	३५,४१४,२८४	४६,९३९,३५७	२५.६१
आसाम	१,९९५,९३६	२,७६५,५०९	३८.५६
बिहार	४,३७३,३६०	५,७८५,६३१	३२.२९
गुजरात	१,४५१,२१४	१,७४५,१०३	२०.२५
पंजाब	२८४,९९३	३९३,३१४	३८.०१
राजस्थान	९९१,२४६	१,३१४,६१३	३२.६२
पश्चिमी बंगाल	५,११८,२६९	६,९८५,२८७	३६.४८
त्रिपुरा	१३६,९४०	२३०,००२	६७.९६
मनीपुर	३७,१९७	४८,५८८	३०.६२

मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि का कारण कुछ तो पाकिस्तान से भारी संख्या में मुसलमानों का आना है और कुछ जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि और भारत के अन्य भागों से उनका प्रव्रजन है।

(ग) वृद्धि ३५,४१४,२८४ से बढ़ कर ४६,९३९,३५७ हुई है, अर्थात् २५.६१ प्रतिशत।

भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

*१३. **श्री त्रिदीव कुमार चौधरी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावलपिंडी में उनके और पाकिस्तान के गृह मंत्री के बीच होने वाली बैठकों के अगले दौर के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के गृह मंत्री के साथ कोई पत्र व्यवहार किया है; और

(ख) क्या बैठकों की तिथियां और उनकी कार्यावलि अन्तिम रूप से निर्धारित हो गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गृह-कार्य मंत्रियों की अगली बैठक के विषय पर भारत और पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्रियों के बीच अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है जैसा कि ७ अप्रैल से ११ अप्रैल, १९६४ के बीच दोनों गृह-कार्य मंत्रियों के बीच हुई पहली बैठकों के परिणामस्वरूप जारी की गई एक संयुक्त विज्ञप्ति में दिया गया है।

मामला राजनयिक स्तर पर विचाराधीन है और बैठक की तिथि और स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये हैं ।

मद्रास और हल्दिया के तेल शोधक कारखाने

*१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और हल्दिया के तेल शोधक कारखानों के निर्माण में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो कब तक के लिए; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं। विभिन्न दलों से प्राप्त प्रस्तावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सतर्कता आयुक्त को प्राप्त शिकायतें

*१५. **श्री गुलशन:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता आयुक्त के पास ३१ अप्रैल, १९६४ तक भ्रष्टाचार के सिलसिले में राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं; और

(ख) अब तक कितनी शिकायतों की जांच कर ली गई है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ३०२; ७१ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध और १०३ गैर-राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध। शेष १२८ शिकायतें ऐसी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

(ख) १४७ शिकायतों पर, जो जांच के लिये उपयुक्त प्रतीत हुईं, संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगे

*१६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) अब तक इस मामले में (१) सरकार, और (२) गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

मुख्यत: भारत में साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिये सरकारी कार्यक्रम में उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना तेजी से भरने पर अधिक बल दिया गया है ताकि विस्थापित व्यक्ति अपने-अपने घरों को लौट सकें। मकानों के पुनर्निर्माण के लिये और खेती के उपकरणों की, जो नष्ट हो गये, खरीद के लिये और अस्त-व्यस्त हुए व्यापार और व्यवसाय को चलाने के लिये अनुदान और ऋण के रूप में पुनर्वास सुविधाएं दी गयी हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ये उपाय किये जा रहे हैं। हम यथावश्यक उनकी सहायता करते हैं।

हम ने देखा है कि कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों ने भी इस बारे में सहायता उपाय किये हैं, जैसे उपद्रव-पीड़ित लोगों के लिये धन इकट्ठा करना और उनको खाना तथा कपड़े देना।

भारतीय प्रशासन सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा

*१७. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा करने की योजना फिर से आरम्भ कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). मामले पर राज्य सरकारों से फिर से लिखा पढ़ी की जा रही है और उनकी राय अभी प्राप्त होनी है।

अध्यापकों की सेवा की शर्तें

*१८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश के अध्यापकों ने यह अपील की है कि उनके लिए सेवा की अच्छी शर्तों, माध्यमिक शिक्षा की समान पद्धति और माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) देश के अनेक भागों से अध्यापकों और अध्यापकों की संस्थाओं ने ज्ञापन-पत्र भेजे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ये विषय भी शामिल हैं।

(ख) जहां तक शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, मांगों को ध्यान में रख लिया गया है और उन पर विचार किया जा रहा है। उनमें से अधिकांश राज्य सरकारों के क्षेत्र में हैं।

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों का निकाला जाना

*१९. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कितने पाकिस्तानियों को आसाम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल से निकाला गया है ;

(ख) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने कि उन्हें आश्रय दिया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जनवरी से मार्च, १९६४ के बीच ८,४३० अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी व्यक्तियों को आसाम से निकाला गया और ४६ को त्रिपुरा से निकाला गया। पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में जानकारी अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी है ।

(ख) और (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

*२०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रताप सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अवैध रूप से घुस आने वाले पाकिस्तानियों की स्थिति का सरकार ने मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं तथा इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनसार राजस्थान में अवैध रूप से कुछ पाकिस्तानी मुसलमान आये हैं । तथापि, वास्तविक संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के देश से निकालने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं । यह मामला विचाराधीन है ।

तेल मूल्य जांच समिति

*२१. श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी तेल मूल्य जांच समिति की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उस के निर्देश-पद क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । तेल मूल्यों पर एक कार्यकारी दल स्थापित कर दिया गया है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तेल मूल्यों के कार्यकारी दल के सदस्य और निर्देशपद निम्न हैं :—

(क) सदस्य :

(१) श्री जे० एन० तालुकदार, ३, एल्बर्ट रोड कलकत्ता–१६ . . . . सभापति

(२) श्री एस० एस० शिरालकर, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली . . सदस्य

(३) श्री एन० कृष्णन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली . . . सदस्य

(ख) निर्देशपद :

कार्यकारी दल इन इन बातों की जांच करेगा और उन पर प्रतिवेदन देगा—

(१) तेल शोधक कारखानों द्वारा तैयार किये गये डामर समेत शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के निर्माणी द्वारा मूल्यों को निर्धारित करने के तरीके ;

(२) इसी प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में जो आयात की जायें तटागत मूल्यों को निर्धारित करने के तरीके ;

(३) ऊपर (१) और (२) में दी गई वस्तुओं की विपणन और वितरण संबंधी देनगियां निर्धारित करना ;

(४) चिकनाई वाले तेलों, ग्रीस और विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में उच्चतम विक्रय मूल्य निर्धारित करना ।

कार्यकारी दल अलग अलग तेलशोधक कारखानों के उत्पादन के लिये मूल्यों को संभरण के वास्तविक क्षेत्रों से मिलाने की संभावनाओं पर भी विचार कर सकता है, और समस्त देश के लिये अथवा विभिन्न खण्डों के लिये जोकि इस प्रयोजन के लिये बनाये जायें, एक समान अथवा 'पूल' मूल्यों की सम्भावना पर विचार कर सकता है । यह सम्भव है कि सम्भरण के वास्तविक क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं के लिये एक ही तेल शोधक कारखाने से मेल न खायें।

आई० सी० एस० अधिकारी

१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा में और सेवानिवृत्त कुल कितने आई० सी० एस० अधिकारी हैं ; और

(ख) गत दस वर्षों में आई० सी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध कितनी विभागीय जांच की गई तथा वे किन आरोपों पर की गई और उन के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

THEFT OF HOLY RELIC

2. **Shri Mohan Swarup :**
Shri D.D. Puri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further steps being taken regarding the investigations into the theft of holy relic from Hazratbal shrine and to punish the real culprits ;

(b) whether any representation has been submitted to Government by the President of Holy Relic Action Committee ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) This is a matter which is not doubt engaging the attention of the Government of Jammu and Kashmir.

(b) and (c). A letter sent on behalf of the "Action Committe" on the subject has been received on the 7th May, 1964. In this letter a request has been made for immediate action to be taken to expedite the investigation resulting in apprehending the real culprit and the nomination of a Judge to try the case.

School Curriculum in Delhi

3. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :
Shri Subodh Hansda :
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether the Public Relation Committee of Delhi Administration has recommended that necessary changes should be made in the curriculum of schools in Delhi with a view to inculcating moral, cultural and national values among the students ; and

(b) if so, the steps taken by the Ministry in the matter ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) No such recommendation has so far been received by the Delhi Administration.

(b) Does not arise.

शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण का समन्वय

४. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में समन्वय लाने के लिये कुंज़रू समिति द्वारा दी गई सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) सरकार ने कुंजरू समिति की मुख्य सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, अर्थात स्कूल प्रक्रम पर एकीकृत कार्यक्रम को लागू करना । कुंजरू समिति की सिफारिश के अनुसार विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और सहायक सेना-छात्र दल के अन्तर्गत कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिये प्रशासनिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं । अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर में लकड़ी की मूर्तियां

५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बशोली के निकट वन क्षेत्र में कुछ लकड़ी की मूर्तियों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और वे किस काल से सम्बन्ध रखती हैं ; और

(ग) उन के परिरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विज्ञान नीति आयोग

६. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की वैज्ञानिक कर्मचारियों की संस्था ने भौतिक और जन शक्ति संसाधनों का सदुपयोग करने के लिये विभिन्न वैज्ञानिक अभिकरणों में समन्वय लाने के लिए एक विज्ञान नीति आयोग बनाने के लिये सरकार से आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां । यह भारत के वैज्ञानिक कर्मचारियों की संस्था द्वारा जारी किये गये प्रकाशन "वैज्ञानिक नीति संकल्प पर कुछ टिप्पणियां और उस की क्रियान्विति" मे दिये गये सुझावों में से एक है ।

(ख) सुझाव की जांच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में उर्वरक कारखाना

७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल मे सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, निर्णय करने में क्या कठिनाई आ रही है ; और

(ग) इस कारखाने को हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में स्थापित करने में क्या कठिनाई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि योजना के तकनीकी पहलू की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाये ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अभी कुछ समय तक हल्दिया में भूमि तथा आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी । हल्दिया के बारे में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने तथा अन्य आवश्यक विकास हो जाने पर बाद में विचार किया जायेगा ।

हिन्द महासागर में खनिज तथा रसायन

९. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी समुद्रतट तथा जीयोडेटिक सर्वेक्षण पोत "पावर" के मुख्य वैज्ञानिक, डा० हैरिस बी० स्टीवर्ट, ने हिन्द महासागर अर्थात् अन्दमान के तटवर्ती क्षेत्र में खनिज और रसायन की उपलब्धता पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी समुद्रतट और जीयोडेटिक सर्वेक्षण पोत "पाइनियर" के मुख्य वैज्ञानिक डा० हैरिस बी० स्टीवर्ट जूनियर ने हिन्द महासागर में खनिजों और रसायनों की लाभप्रद प्राप्ति की संभावना पर ज़ोर दिया है ।

(ख) सरकार समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, जहां पानी की गहराई बहुत कम है, तेल निक्षेपों की खोज करने की सम्भावना से अवगत है । सरकार इस समय समुद्र के गहरे भागों में स्थित तेल निक्षेपों को लाभप्रद यन्त्र की खोज व्यवहार्य नहीं समझती ।

माध्यमिक विद्यालयों के लिये केन्द्रीय सहायता

१०. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को तीसरी योजना की शेष अवधि में कुछ विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों को शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को दी गई अथवा प्रस्तावित राशि कुल कितनी है ; और

(ग) उन विशिष्ट योजनाओं का स्वरूप क्या है जिनके अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के लिये अनुदान का प्रस्ताव किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) जी हां, राज्यों को निम्नलिखित योजनाओं के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है :—

(१) विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना ।

(२) विज्ञान के अध्यापकों के लिये विशेष प्रशिक्षण ।

(३) विद्यालयों के पुस्तकालयों में सुधार ।

प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशि के बारे में अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है ।

कानपुर के समीप हथियारों के कारखाने

११. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के समीप जो दो हथियार बनाने के कारखाने पाये गये थे उनका विवरण क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन अवैध कारखानों को स्थापित करने में किसी विदेशी का हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) ३०—३—१९६४ को बांदा जिले के बिलगांव नामक गांव में अवैध रूप से हथियार बनाने के एक कारखाने का पता चला । एक एस० बी० बी० एल० .१२ बोर की बन्दूक, देश में बनी, .१२ बोर की पिस्तौलें कुछ पुर्जों तथा औजारों के साथ छः अर्धनिर्मित पिस्तौलें पकड़ी गईं । तीन व्यक्तियों को, जो काम पर लगे हुए थे, शस्त्र अधिनियम १९५९, की धारा २५ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

६-४-१९६४ को कानपुर जिले के सिकदरा गांव में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले एक अन्य छोटे कारखाने का पता चला और इस कारखाने में एक देश में बनी .१२ बोर की पिस्तौल के साथ बहुत से औजार तथा अन्य सामान पकड़ा गया। मकान में पाये गये तीन व्यक्तियों को, शस्त्र अधिनियम, १९५९ की धारा २५ के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया। १०-४-१९६४ को न्यायालय में एक अन्य व्यक्ति ने आत्म समर्पण किया।

मामले की जांच की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी जिससे यह कहा जा सके कि ये कारखाने विदेशी सहायता से स्थापित किये गये थे।

Birth Centenary of Mahatma Gandhi

12. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2892 on the 6th May, 1964 and state:

(a) whether any Committee has been constituted to chalk out a programme to celebrate the birth centenary of Mahatma Gandhi in the form of a national festival ;

(b) if so, the names of the chairman and members of the Committee ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative what is the name of the body which is working out a plan and programme in this regard ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) No, the Ministry of Education has not set up any such Committee.

(b) Does not arise.

(c) As far as is known to this Ministry, the Gandhi Smarak Nidhi has set up a Preparatory Committee for the purpose.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त

१३. श्री राम सेवक यादव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सहायक आयुक्तों के छः नये कार्यालय खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो इन नये कार्यालयों पर अनुमानित वार्षिक व्यय क्या होगा और आपातकाल में इन कार्यालयों को खोलने की आवश्यकता क्यों हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इन नये कार्यालयों पर अनुमानित कुल व्यय २.१० लाख रुपये वार्षिक होगा। यह व्यय वर्तमान निर्धारित राशि में से बचत करके पूरा किया जायेगा।

यद्यपि इन नये पदों के बारे में हाल में ही निर्णय किया गया है तथापि आयुक्त के संस्थापन के पुनर्गठन का प्रश्न आपातकाल की घोषणा होने से पहिले से ही विचाराधीन था।

इसके गुणावगुणों की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही यह निर्णय किया गया था ताकि पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें।

त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भौतिक शास्त्र और गणित जैसे विषयों के लिये वर्तमान द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम चालू करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस तेल शोधक कारखाने के चारों ओर विभिन्न पैट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी एक योजना तैयार करने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) भूमि अर्जन का कार्य सन्तोषजनक रुप से चल रहा है। मई, १९६४ के अन्त तक खाली सम्पूर्ण भूमि को प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। स्थान तैयार करने तथा उसका सड़कों से सम्बन्ध स्थापित करने का काम प्रगति पर है। भवन निर्माण के लिए भवन निर्माताओं तथा नगर आयोजकों को ठेका देने के बारे में विचार किया जा रहा है। पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में भी कोचीन पत्तन अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) इस समय कोचीन में उर्वरक कारखानों के अतिरिक्त तेल शोधक कारखाने पर आधारित पैट्रो-केमिकल उद्योग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

शिक्षा संबंधी योजनायें

१६. **श्री सुबोध हंसदा**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये शत प्रतिशत अनुदान देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन विशिष्ट योजनाओं का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८९३/६४।]**

१९६० की सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

१७. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें १९६० में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण अभी तक बहाल नहीं किया गया है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सजाओं को, जैसे वार्षिक वृद्धि का बन्द किया जाना तथा गत सेवा काल का शामिल न किया जाना, अभी तक समाप्त नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में १० अप्रैल, १९६४ को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों की समन्वयकारी समिति द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सरकार को इस बारे में प्राप्त नवीनतम जानकारी इस प्रकार है :—

(१) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो बहाल नहीं किये गये हैं .	१४५
(२) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अन्य सजायें दी गई— .	
पदावनति किये गये कर्मचारियों की संख्या . .	१८२
निम्न स्तर/निम्न समय-श्रेणी में कर दिये गये कर्मचारियों की संख्या	१,५५५
ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी पदोन्नति रोक दी गई .	७
ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी वार्षिक वृद्धि रोक दी गई .	४,९५३
ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये .	९,२४३

आदेशों के अन्तर्गत वेतन, पेंशन, अवकाश, वार्षिक वृद्धियों के प्रयोजन के लिये गत सेवाकाल को कम नहीं किया जा सकता है ।

(ख) गृह-कार्य मन्त्रालय को ऐसे कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल

१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें कितना विस्तार करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) देश की अन्दरूनी सुरक्षा के लिये केन्द्रीय रक्षित पुलिस का विस्तार करना आवश्यक हो गया है । भारत सरकार ने तीन अतिरिक्त बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है और एक और बटालियन की मंजूरी देने का विचार है ।

विश्वविद्यालय औद्योगिक बस्तियां

१९ श्री बी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में काफी संख्या में विश्वविद्यालय औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

२०. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में पश्चिम बंगाल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) उस अवधि में उस राज्य को वास्तव में कितनी राशि दी गई ;

(ग) वह किन योजनाओं पर खर्च की गई ; और

(घ) १९६४–६५ के लिये उस राज्य को अब तक कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) ७०.१२ लाख रुपये।

(ख) राज्य सरकार द्वारा केवल ५६.७६ लाख रुपये खर्च किये गये ।

(ग) राज्य योजनायें—

१. शिक्षा :

१. शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क का भुगतान ।

२. होस्टल ।

३. अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आश्रम स्कूल ।

२. आर्थिक प्रगतिः

१. लाख की खेती का विकास ।

२. पशु पालन ।

३. छोटी सिंचाई ।

४. बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा उसका विकास करना ।

५. कृषि भूमि की खरीद ।

६. बढ़ई के काम के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ।

७. संचार ।

८. कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये राज सहायता ।

३. स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनायें :

१. मकान तथा मकानों के लिये स्थान ।

२. जल सम्भरण ।

३. स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता ।

४. कल्याण केन्द्रों की स्थापना ।

केन्द्रीय योजनायें—

१. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां ।

२. सहकारिता जिसमें वन सहकारी समितियां और मार्केटिंग तथा उपभोक्ता सहकारी समितियां शामिल हैं ।

३. अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण ।

४. गन्दे काम धन्धों में लगे हुए व्यक्तियों की कार्य की दशा में सुधार करना जिसमें मैले को सिर पर रख कर ले जाने की प्रथा का उन्मूलन भी शामिल है ।

५. मेहतरों तथा मैला उठाने वालों के लिये मकानों का निर्माण करने के लिये राज सहायता तथा अनुसूचित जाति के उन लोगों के लिये मकान के स्थानों की व्यवस्था जो (क) गन्दे काम धन्धों में लगे हुए हैं अथवा (ख) जो भूमिहीन मजदूर हैं ।

(घ) ८१.३७ लाख रुपये ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

२१. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा राज्य में लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६३–६४ में इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के विद्यार्थियों को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(ख) छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत कुल २,५५,३६२/- रुपये की राशि दी गई है ।

उड़ीसा में शारीरिक शिक्षा के लिये अनुदान

२२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिये कोई अनुदान अथवा ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के लिये कितनी धन राशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). जी हां। उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में अनुदान के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :--

वर्ष	रुपये
१९६२-६३	१९५०
१९६३-६४	१२७३० ।

Bomb manufacturing factory in Jabalpur

23. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether factories manufacturing bombs and arms illegally have been unearthed in Jabalpur ;

(b) whether the material recovered from the said culprits belonged to defence establishments ; and

(c) If so, the steps taken by Government to check such leakage from defence establishments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Hathi) : (a) No bombs and arms manufacturing factories have been unearthed in Jabalpur. However, a person was arrested in Jabalpur City on 4th May, 1964 for illegally manufacturing 22 and ·12 bore single-shot pistols. Six comlete and one partly manufactured pistols with manufacturing implements were seized from him.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

एमोनियम क्लोराइड

२४. **श्री बालकृष्ण सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री २२ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहू केमिकल्स सोडा एश फैक्टरी, वाराणसी को पाउडर के रूप में एमोनियम क्लोराइड उर्वरक बनाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि उसको क्रिस्टल के रूप में इसका उत्पादन करने के लिये लाइसेंस मिला हुआ था ;

(ख) क्या उक्त कारखाने के विस्तार के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मैसर्ज साहू केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स को एमोनियम क्लोराइड के उत्पादन के लिये दिये गये थे लाइसेंस में यह उपबन्ध नहीं है कि उसका किसी विशेष रूप में उत्पादन किया जाये। एमोनियम क्लोराइड उनकी सोडा एश फैक्टरी, साहुपुरी, वाराणसी, में सह-उत्पादन के रूप में तैयार किया जाता है। प्रविधिक कठिनाई के कारण उनका क्रिस्टलाइजर एमोनियम क्लोराइड के बड़े आकार के क्रिस्टल तैयार नहीं कर सकता है और उसका उत्पादन उत्तम क्रिस्टलों के रूप में होता है जो पाउडर जैसे दिखाई पड़ते हैं।

(ख) और (ग). क्षमता को दुगुना करने के लिये इस फर्म को १९६० में लाइसेंस दिया गया था जिसको अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस कारखाने का और अधिक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को अनुसन्धान अनुदान

२५. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों को अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के लिये एक योजना चालू की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितने शिक्षकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है; और

(ग) अनुसन्धान कार्य का स्वरूप तथा कालावधि क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–२८९४/६४।]**

(ग) वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान के विषयों और मानवशास्त्र (जिसमें सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित हैं) में मूल अनुसन्धान विद्वत्तापूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन देना है।

अनुसन्धान कार्य की अवधि प्रत्येक परियोजना पर निर्भर करती है परन्तु योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान का सामान्यतया उसके भुगतान के एक वर्ष के अन्दर उपयोग करना होता है।

कावेरी बेसिन में तेल

२६. **श्री मुथिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में पट्टूकोटई के निकट और कावेरी बेसिन में तेल की खोज में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पट्टूकोटई के निकट छिद्रण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पट्टूकोटई के निकट ८३९ मीटर की गहराई पर स्ट्रक्चुरल कुंए का खुदाई कार्य पूरा हो गया है । कराइकल के निकट एक गहरे कुंए का खुदाई कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा । भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी है ।

(ख) कुंए को १२०० मीटर की गहराई तक खोदने की योजना थी परन्तु खुदाई सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण खुदाई कार्य ८३९ मीटर पर बन्द करना पड़ा ।

(ग) स्ट्रेटीग्राफिक जानकारी प्राप्त की गई थी । परन्तु वहां पर हाइड्रोकार्बन के होने का कोई संकेत नहीं मिला है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का कार्य

२७. **श्री मोहन नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६३-६४ के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित की गयी राशि में से खर्च की गयी राशि कितनी है ;

(ख) जिन योजनाओं पर यह राशि व्यय की गयी है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त योजनाओं में से कितनी राशि खर्च न हो सकी और केन्द्रीय सरकार को वापिस कर दी गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) राज्य सरकार से १९६३-६४ के व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए । परन्तु राज्य सरकार द्वारा १९६३-६४ के व्यय का जो अनुमान प्राप्त हुआ था वह लगभग १३३.३९ लाख रुपये था, जब कि अलाट की गयी राशि १३३.१० लाख रुपये थी ।

(ख) योजनाओं को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २८९५/६४**] ।

(ग) अनुमानित व्यय वास्तव में अलाट की हुई राशि से अधिक है ।

साक्षरता सर्वेक्षण

२८. **श्री मोहन नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६३ के सीमित सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता की वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) महिलाओं की साक्षरता की वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). मंत्रालय द्वारा १९६३ में कोई साक्षरता सर्वेक्षण नहीं किया गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निदेशालय, तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सांख्यकीय विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। शिक्षा स्तरों पर उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की है उसे अभी सारणी बद्ध नहीं किया गया है।

समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

२९. **श्री मोहन नायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को १९६३-६४ में समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक तथा नैतिक सुधार तथा 'बाद की देखभाल' कार्यक्रमों के लिए प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि क्या है; और

(ख) मार्च, १९६४ के अन्त तक चलने वाली परियोजनाओं की संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्): (क) कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिए १,६१,२६३ रुपये तथा सामाजिक तथा नैतिक सुधार तथा 'बाद की देखभाल' कार्यक्रमों के लिए ८३,००० रुपये की राशि दी गयी।

(ख) ११।

उड़ीसा के स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों के शिक्षक

३०. **श्री मोहन नायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष उड़ीसा सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण का सुझाव हो; और

(ख) यदि हां, तो उस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कुल कितनी राशि दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर

३१. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री २५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद ३७० को समाप्त करने की दिशा में आगे कोई और कदम उठाया गया है जिससे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के स्तर पर ले आया जाये;

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

Drilling in Bihar

32. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of drilling for oil has been abandoned in Raksaul-Champaran and Purnea (Bihar); and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Drilling in Raxaul area is being abandoned. Drilling in Purnea area is to be carried out.

(b) The object of drilling at Raxaul was to obtain information about the rock formations at depth in the Raxaul area. The object has already been achieved.

Grants to Kashi Vidya Peeth

33. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a panel of the University Grants Commission visited Varanasi to consider the question of grant to Kashi Vidya Peeth, Varanasi ;

(b) if so, the recommendations made by it and the decision taken by the University Grants Commission thereon ; and

(c) whether Government propose to provide some special facilities for the development of this institute ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Commission accepted the recommndations of the Visiting Committee appointed to examine the development needs of Kashi Vidya Peeth, Varanasi, and agreed to pay the following grants as and when necessary :—

	Approved Cost		UGC's share	
	Rs.		Rs.	
(i) Department of Social Works and Sociology . .	1,30,000 2,01,200	(NR) (R)	95,000 1,00,600	(NR) (R)
(ii) Building for Social Work .	2,50,000	(NR)	1,25,000	(NR)
(iii) Library building . .	5,00,000	(NR)	3,33,300	(NR)
TOTAL . . .	10,81,200		6,53,900	

(c) The University Grants Commission will consider provision of other facilities for the development of the Vidyapeeth according to need.

Thefts in Delhi

34. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of thefts committed in the Capital city of Delhi from January, 1963 to 30th April, 1964;

(b) the number of persons convicted in connection with those thefts, the amount recovered and the amount which remained untraced ; and

(c) the number of cases in which Government employees or those belonging to some political parties were involved in the thefts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) 11,229.

(b) 730 persons were convicted, 779 persons are under trial and cases against 20 persons are under investigation. Stolen property worth Rs. 19,38,977·54 was recovered and the remaining property worth Rs. 27,13,073·60 remained untraced.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

भोपाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

३५. श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भोपाल में केन्द्रीय सरकार की ओर से विश्वविद्यालय खोलने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह नया विश्वविद्यालय कब अपना काम करना आरम्भ कर देगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Pakistanis residing in Delhi

36. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of illegal Pakistani residents living in Delhi ;

(b) the steps being taken by Government to evict them ; and

(c) the number of Pakistani nationals arrested by police during the last five months ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) 50.

(b) Action is being taken to locate them and to proceed against them under the Foreigners Act, 1946.

(c) 16.

Hindi as medium in Central Service Examinations

37. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. C. Borooah :
Shri M. Rampure :
Shri D. D. Mantri :
Shri Dharmalingam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the progress made in the direction of taking a final decision to make Hindi the optional medium in examinations conducted by the Central Government and Union Public Service Commission?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): The question of introducing Hindi as an alternative medium for the All-India and higher Central Services examination was discussed by the Union Home Minister with Chief Ministers and Ministers of State Governments on 12th March, 1964. It was agreed that Hindi might be introduced as an optional medium with effect from the examination to be held from September, 1965, provided necessary methods and techniques can be evolved by Union Public Service Commission in the meanwhile for maintaining a common standard in the evaluation of examination papers written in English and Hindi.

The Union Public Service Commission are now considering the matter.

गन्धक का तेजाब तैयार करने का संयंत्र

३८. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री २९ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्धक के तेजाब के निर्माण के संयंत्र के लिए पाइराइट्स एण्ड कैमिकल डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड को विश्व भर से कितने टेंडर प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित है;

(ग) परियोजना की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस परियोजना का वास्तव में निर्माण कब से आरम्भ हो जायेगा; और

(ङ) यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) ग्यारह।

(ख) लगभग ८० लाख रुपये।

(ग) से (ङ). टेंडर 'टर्न की' (उल्लिखित अवस्था तक काम पूरा करने का ठेका) के आधार पर निमंत्रित किये गये हैं। टेंडरों का परीक्षण किया जा रहा है और उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायेगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार संयंत्र को अधिक से अधिक स्वीकृति के २$^{1}/_{2}$ वर्ष के भीतर उत्पादन के लिए तैयार कर दिया जाना चाहिए। यदि कोई देरी होगी तो इसका कारण यही होगा कि भारत में गन्धक के तेजाब का, पाइराइट्स अयस्क पर आधारित, इस किस्म का यह पहला कारखाना होगा।

गुजरात के उद्योगों को गैस का सम्भरण

३९. श्री जसवन्त मेहता :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए गैस के सम्भरण के लिए मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में मध्यस्थ, डा० बी० के० आर० वी० राव, द्वारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो देरी के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रश्न का बड़े ध्यान से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। मध्यस्थ को निर्णय करने में कुछ समय लग सकता है।

अंदमान में नमक का मूल्य

४०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान में नमक का मूल्य भारत के आन्तरिक स्थानों के मुकाबले में अधिक है;

(ख) मछली, सूअर का मांस तथा हरिण का मांस इत्यादि के काफी सम्भरण के लिए वहां डिब्बों में बन्द करने का उद्योग क्यों नहीं है;

(ग) केले और अनन्नास की काफी खेती होने के बावजूद भी क्या इसका निर्यात इसलिए नहीं हो पा रहा कि वहां शीत कोठागार की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(घ) पश्चिमी बंगाल की बड़ी मंडी में जमी हुई मछली भेजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) आजकल अंदमान में नमक का मूल्य ३० नये पैसे प्रति किलोग्राम है। भारत के आन्तरिक स्थानों में नमक का मूल्य क्या है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) स्थानीय खपत के लिये वर्तमान मछली काफी है, सूअर और हरिण के मांस का सम्भरण सीमित होता है।

(ग) आजकल केले और अनन्नास का उत्पादन वहां इतना कम है कि स्थानीय जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं।

(घ) इस समय सम्भरण थोड़ा है, अतः जमी हुई मछली के निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता। अंदमान प्रशासन ने मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ योजनायें चालू की हैं। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि शीत कोठागार की भी व्यवस्था की जा सके।

पश्चिमी बंगाल में तेल के लिये खुदाई

४१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेल की खोज तथा उसके लिये खुदाई (ड्रिलिंग) की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए किन स्थानों का चुनाव किया है; और

(ग) गंगा के मैदान में तेल खोज निकालने में गैर-सरकारी उपक्रम पहले असफल रहे हैं इसे देखते हुए सफलता की सम्भावनायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) तेल की खोज तथा खुदाई (ड्रिलिंग) की योजनाओं की प्रारम्भिक अवस्था पूरी हो गयी है।

(ख) राणाघाट और पोर्ट केनिंग क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। सब से प्रथम कुआ जो खोदा जायेगा वह कलकत्ता पोर्ट केनिंग रोड पर पोर्ट केनिंग के पश्चिम में दो मील पर स्थित है।

(ग) हमें अभी खुदाई के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी।

Geography in Delhi Schools

42. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that geography is not taught in Higher Secondary Schools in Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. Geography is taught in some Higher Secondary Schools in Delhi.

(b) Does not arise.

Encyclopaedia of Nagari Pracharini Sabha

43. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unnecessary delay is being caused in the publication of encyclopaedia assigned to Nagari Pracharini Sabha ;

(b) if so, the cause of delay ; and

(c) the time by which all the volumes of Encyclopaedia are likely to be published ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) *to* (c). It is a fact that there has been considerable delay in the preparation and publication of the Hindi Encyclopaedia. The Sabha has so far been able to publish three out of the ten volumes. The fourth volume has been completd and sent to the Press and simultaneously work is also in progress on the remaining volumes.

The Government has taken necessary steps to ensure that the work is speeded up and there are no unnecessary delays in future. It is expected that the entire work will be completed in three to four years.

राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

४४. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय अनुदान का उपयोग नहीं किया है और उनको व्यपगत हो जाने दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं तथा उनको किन कारणों से उपयोग में नहीं लाया जा सका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). इस समय किन-किन राज्यों ने गत वर्ष के केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग नहीं किया है यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी १९६३–६४ के लेखे अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये जा सके हैं।

परन्तु १९६२–६३ में आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल (जहां तक सामान्य शिक्षा योजनाओं का सम्बन्ध है) तथा आंध्र प्रदेश तथा मद्रास (जहां तक तकनीकी शिक्षा योजनाओं का सम्बन्ध है) के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य ने केन्द्रीय आबंटन का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया है। ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि आपातकाल में भवनों आदि पर होने वाला व्यय कम कर दिया गया था। अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता, वस्तुओं तथा उपकरणों आदि को इकट्ठा करने में कठिनाइयां आदि भी अन्य कारण हैं।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा के तकनीकी विशेषज्ञ

४५. **श्री रामहरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था में तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिये अल्पकालीन विशेष कार्यक्रम चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षार्थी कितने हैं तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं तथा प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था ने शिक्षा संस्थाओं के श्रव्य-दृश्य उपकरण के अध्यापकों, परियोजना अधिकारियों तथा प्रभारी टैक्नीशियनों के लिये अल्पकालीन तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू किया है।

(ख) पाठ्यक्रम में श्रव्य-दृश्य उपकरण की महत्वपूर्ण मदों के कार्यवहन, संधारण तथा मरम्मत के सिद्धान्त आते हैं तथा विद्युत्, चश्मे के कांच तथा इलैक्ट्रोनिक्स के आरम्भिक सिद्धान्तों को भी बताया जायेगा ।

(ग) निर्धारित न्यूनतम अर्हता मैट्रिकुलेशन/हायर सैकन्डरी विज्ञान के साथ है । अन्य अभ्यर्थी यदि अनुभवी होंगे तो छूट दी जा सकती है । १२ प्रशिक्षार्थी हैं तथा पाठ्यक्रम तीन महीने का है जिसके बाद एक महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण है ।

काशी के निकट पुरातत्व संबंधी खोज

४६. **श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वीय विभाग द्वारा कुमौली गांव में की गई खोज से सिद्ध हो गया है कि मूल काशी वर्तमान वाराणसी नगर से सात मील पूर्व में स्थित थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोज में ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुयें मिली हैं ; और

(ग) क्या उस नगर की प्राचीनता के बारे में कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग). खोज कार्य बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने किया है । इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नतियां

४७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह ११ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलैक्शन ग्रेड के उन अधिकारियों, जो अपने वेतन क्रम का अधिकतम पा रहे हैं, के सम्बन्ध में उप सचिव तथा संयुक्त सचिव अथवा इन के समान पदों पर नियुक्ति के लिये उस से पहले विचार किया जायेगा जब तक सरकार केन्द्रीय सचिवालय में अन्य सेवाओं के अधिकारियों को लाने का निर्णय न करे ;

(ख) गत चार वर्षों में वर्षवार प्रथम श्रेणी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के कितने अधिकारियों तथा आई० ए० एस० तथा आई० ए० एण्ड ए० एस० के कितने अधिकारियों को उप सचिव तथा संयुक्त सचिव अथवा इनके समान पदों पर नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(ग) गत चार वर्षों में वर्षवार, अलग अलग कितने पदों पर नियुक्ति की जानी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग). केन्द्र में उपसचिव अथवा उससे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिये साधारण तथा अधिकारी भारत सरकार, गृह-कार्य मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० ३४(३) ई ओ/५७ दिनांक १७ अक्तूबर, १९५७ में प्रकाशित योजना की कण्डिका २(१) के अनुसार लिये जाते हैं जो नीचे दी जाती है :—

"(१) इन पदों पर निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है :—

(क) आई० ए० एस० के राज्यों के केडर से तथा राज्यों की अन्य प्रथम श्रेणी की सेवाओं से लिये गये अधिकारी (राज्य सिविल सर्विस के अतिरिक्त) प्रति-नियुक्ति पर ;

(ख) केन्द्रीय सेवाओं, सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में अधिकारियों समेत प्रथम श्रेणी के प्रतिनियुक्ति के लिये लिये गये अधिकारी (अब तक बताई गई केन्द्रीय सेवायें)

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलक्शन ग्रेड के अधिकारी ;

(घ) केन्द्रीय प्रशासनिक पूल के अधिकारी ;

(ङ) आई० ए० एस० (पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां) विनियमन के विनियमन ७(३) में उल्लिखित सूची में जिनके नाम शामिल किये गये हैं वह राज्यों के सिविल सर्विस अधिकारी ; तथा

(च) (ङ) में बताये गये राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के अतिरिक्त अधिकारियों को भी यू० पी० एस० सी० के परामर्श से वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जा सकता है ।"

प्रत्येक राज्य के आई० ए० एस० के केडर में केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति का कोटा निर्धारित है तथा उप-सचिव तथा इस से ऊंचे पदों में से ४५ पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिये निश्चित हैं । इन उपबन्धों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई भी रिजर्वेशन नहीं किया गया है । उप-सचिव सचिव तथा उससे ऊपर के पदों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है । इन पदों पर नियुक्ति मुख्यत: निम्नलिखित विचारों के आधार पर होती है (१) पदों की आवश्यकता (२) अनुभव, पृष्ठभूमि, योग्यता तथा विभिन्न सेवाओं के लिये उपलब्ध अधिकारियों की योग्यता तथा (३) अपनी सेवाओं में उक्त अधिकारियों की वरिष्ठता ।

गत चार वर्षों में उप-सचिव तथा संयुक्त सचिव अथवा इन के समान पदों पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सेवा का नाम	उप-सचिव तथा उनके समान पद				संयुक्त सचिव तथा उनके समान पद			
	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३
आई. सी. एस./ आई. ए. एस.	१९	२५	३४	३७	८	१२	२१	३०
आई. ए. ए. एस. .	—	६	५	६	—	—	—	—
आई० डी० ए० एस० .	१	२	—	२	१	—	१	—
आई. आर. एस.	५	६	८	३	१	—	—	२
भारतीय डाक सेवा	२	२	१	—	—	—	—	—
सी. एस. एस.	८	९	२४	४	२	—	६	—
अन्य*	—	२	१	—	—	२	१	—
जोड़ .	३४	५२	७३	५२	१२	१४	२९	३२

*इनमें वह नियुक्तियां शामिल नहीं हैं जो वैदेशिक कार्य तथा विधि मंत्रालयों में उन अधिकारियों में से की गई हैं जो भारतीय विदेश सेवा तथा केन्द्रीय विधि सेवा के हैं ।

अन्दमान विशेष वेतन

४९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाह व्यय के बढ़ जाने के कारण अन्दमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अन्दमान वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा पद्धति

५०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों की शिक्षा पद्धति की अपनी जांच पूरी कर ली है ;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के अहिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा माध्यम के बारे में कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिक्षा मंत्रालय ने हाल में ही ऐसा कोई अध्ययन दल नहीं बनाया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोर्ट ब्लेयर में गोली का चलाया जाना

५१. श्री मुहम्मद इलियास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६२ में पोर्ट ब्लेयर में गोली चलाये जाने की जांच के लिये नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी १९ मार्च, १९६३ को सभापटल पर रख दी गई थी ।

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री बनारसी प्रसाद सिन्हा और डा० हरी मोहन के निधन के बारे में सभा को सूचना देनी है ।

श्री बनारसी प्रसाद सिन्हा बिहार के मुंगीर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे । वह प्रथम तथा द्वितीय लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे । उन की मृत्यु १५ मई, १९६४ को मुंगीर में हुई ।

डा० हरी मोहन प्रथम लोक-सभा के सदस्य रह चुके थे । उन की मृत्यु १८ मई, १९६४ को हुई ।

अपने इन मित्रों की मत्यु पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं ।

(इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे)।

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES—(Query)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तिरुवेली-रेलवे स्टेशन पर गोली वर्षा की घटना के बारे में और प्रव्रजकों के पुनर्वास के बारे में स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैंने इस विषय के ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के लिए अनुमति दे दी है । सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों के नाम साथ जोड़ दिये गये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं जानना चाहता हूं कि उस विषय के स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति क्यों नहीं दी गई । इस प्रस्ताव के द्वारा हम सरकार की निन्दा करना चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह कारण नहीं बताये जा सकते ।

अविम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तिरुवेली रेलवे स्टेशन पर पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर गोली चलाया

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं पुनर्वास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "तिरुवेली रेलवे स्टेशन पर १९ मई, १९६४ को पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित गोली वर्षा जिसके परिणामस्वरूप पांच शरणार्थी मारे गये और कई अन्य घायल हुए ।"

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : उड़ीसा सरकार द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पांच शिविर खोले गये हैं और उनका ५००० प्रव्रजक परिवारों को छोटे पैमाने के उद्योगों में पुनः बसाने का कार्यक्रम है चूंकि कृषि योग्य भूमि उन के पास कम मात्रा में उपलब्ध है । जब तक ऐसे उद्योग स्थापित किये जाते हैं तब तक के लिये प्रव्रजकों को कई प्रकार के अन्य धन्धों में रोजगार दिलाया जा रहा है । परन्तु उन्हें जोर देकर ऐसे कामों पर नहीं लगाया जाता । तिरुवेली शिविर में १८ मई, १९६४ तक ५९७ परिवार थे । उन्होंने वहां पहुंचते ही मांग की कि उन्हें भूमि देकर फिर से बसाया जाय । राज्य सरकार ने उन्हें बताया कि चूंकि कृषि योग्य भूमि की उनके पास कमी है इसीलिये वह अन्य धन्धों में लग जायें । परन्तु उन्होंने १६ मई को पुनर्वास पदाधिकारी को चेतावनी दी कि यदि २४ घंटे के अन्दर अन्दर उन्हें भूमि न दी गयी तो वह अन्य उपाय करेंगे । इन में से ३७५ परिवार १७ और १८ मई को शिविर से निकल कर तिरुवेली स्टेशन पहुंचे और माना के अस्थायी केन्द्र में वापस जाने के लिये, १ घंटे के अन्दर अन्दर गाड़ी उपलब्ध किये जाने की मांग की । बहुत समझाये जाने के बावजूद भी २०० व्यक्तियों ने रेलवे लाइन पर धरना देकर एक गाड़ी को रोका ।

१९ मई को प्रव्रजक हिंसात्मक मुद्रा में थे और उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी । जिला दण्डाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत १४ मुख्य प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आदेश जारी किये । उन्हें बताया गया कि उन का वहां एकत्र होना गैर-कानूनी है परन्तु उन पर कोई असर न हुआ । कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा परन्तु प्रव्रजकों ने जबरदस्ती एक गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाया जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी ।

पहले लाठी चलाई गई परन्तु इस पर उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर पत्थर फेंके और चाकू निकाल लिये । कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये । इस परिस्थिति में विवश हो कर जिला दण्डाधीश ने गोली चला कर हिंसक भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दिया । पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के नियंत्रण में गोली के १२ राऊंड चलाये गये जिसके परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मारे गये । ६ अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं । कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

[श्री त्यागी]

यह खेद का विषय है कि प्रव्रजक, जिनकी प्रत्येक प्रकार से सहायता की जा रही है, हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लें। मुझे आशा है कि वह फिर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : आजकल बार बार गोली चलने की घटनाओं को देखते हुए तथा गत कुछ सप्ताहों में जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटी हैं, जिनमें एक गरुद्वारे वाली घटना भी शामिल है, उन्हें देखते हुए हमें कुछ अधिक सुरक्षा के उपाय करने चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। यदि वे घटना के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अन्यथा मैं दूसरे माननीय सदस्य से प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : वे पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पृष्ठभूमि नहीं चाहता हूं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार उन स्थानों पर जहां चेतावनी दी गई है अवैध रूप से लोगों के एकत्र होने के बारे में कोई पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : सरकार इन शरणार्थी शिविरों में अनुशासन कायम करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है क्योंकि सरकार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना चाहती है। अतः सरकार इन स्थानों में शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कुछ अनुशासन सम्बन्धी नियम बनाये जा रहे हैं। और शीघ्र ही इन नियमों को लागू किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सरकार (क) शिविरों की दशा आने वाले नये विस्थापितों के अनुरूप बनाने, और (ख) इस बात का पता लगाने के लिये कि आने वालों में कोई पाकिस्तान का जासूस तो नहीं है, ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री त्यागी : प्रश्न का दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। शिविरों में रहने वाले जो लोग प्रशासन के प्रति वफादार नहीं हैं और पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, खुशी से जा सकते हैं। जो लोग शिविरों में रहना चाहते हैं उन्हें अनुशासन में रहना पड़ेगा और उन्हें सौंपा गया काम ईमानदारी से करना पड़ेगा।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि शिविरों में लोग किन दशाओं में रह रहे हैं ?

श्री त्यागी : मैं मानता हूं कि शिविरों में दशा सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। परिस्थितियों को एकदम उनके अनुकूल बनाना कठिन है। किन्तु फिर भी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ स्थानों में प्रतिकूल जलवायु होने के कारण कठिनाइयां आ रही हैं। अतः हमने बहुत से शिविर नदियों तथा जंगलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में खोले हैं।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : क्या यह सच है कि इन लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल तथा बिना किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण दिये उद्योगों में काम करने के लिये माना तथा दण्डकारण्य के निकटवर्ती पारगमन शिविरों से उड़ीसा के पांच शिविरों में जिसमें तिरुवेली भी शामिल है, भेजा गया; और क्या यह भी सच है कि बंगाल से बाहर भेजे गये लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें खेती के लिये भूमि दी जायेगी और यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है ?

श्री त्यागी : उड़ीसा सरकार ने उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिये प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था कर ली है। उड़ीसा सरकार इन लोगों के मकान आदि बनाने के लिये इन लोगों से ईंट आदि बनाने का काम ले रही है। कभी उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि उन्हें कृषि भूमि में बसाया जायेगा क्योंकि न सब के लिये कृषि भूमि की व्यवस्था करना मुश्किल है। अतः शरणार्थियों को इस प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या सरकार ने शरणार्थियों का वर्गीकरण किया है या करना चाहती है ताकि वे लोग अपनी इच्छा के अनुसार खेती या उद्योगों में काम कर सकें ?

श्री त्यागी : यह कार्य मेरे पद सम्भालने से पहले ही किया जा रहा है। शरणार्थियों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य में वही बातें कही गई हैं जो पुलिस ने कही थीं। क्या सरकार इस मामले में न्यायिक जांच करना चाहती है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार संसदीय प्रतिनिधिमण्डल को इस मामले को जांच करने को कहेगी ?

श्री त्यागी : राज्यों में इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का काम है। इस मामले में जान का खतरा था।

श्री स० मो० बनर्जी : इन लोगों को पाकिस्तानियों द्वारा मारा गया और भारतीय भी मार रहे हैं।

श्री त्यागी : केन्द्र सरकार के लिये ऐसे प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना कठिन है।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में प्रायः पुलिस द्वारा बतायी गयी बातें कही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिये गोली चलाने के बजाय अश्रु गैस का प्रयोग क्यों नहीं किया। ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने केवल यह बताया था कि वहां स्थिति अच्छी नहीं थी। क्या सरकार ने इस बारे में तथ्यों की जांच की है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में पूछताछ अधिकारी अथवा इस मामले में नियुक्त किये गये निकाय द्वारा जांच की जायेगी। माननीय सदस्यों को अनुभव करना चाहिए कि यह शान्ति और

व्यवस्था का मामला है । यद्यपि यह राज्य सरकार का मामला है तथापि इसका शरणार्थियों से सम्बन्ध होने के कारण मैंने इसकी अनुमति दे दी थी । माननीय सदस्यों को जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने तक धैर्य रखना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : ये अभागे शरणार्थी पाकिस्तान से निकाले जाने के समय से अनेक कष्ट सहन कर रहे हैं। अतः उनके साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए । क्या इन शरणार्थियों को ठीक तरह से रखने का कार्य पुलिस अथवा जिला मजिस्ट्रेट को न सौंप कर अन्य संस्था को नहीं सौंपा जा सकता है जिससे शान्ति और व्यवस्था बनी रहे ?

श्री त्यागी : यह सुझाव मेरे दिमाग में भी है। किन्तु शरणार्थियों को शिविरों के अनुशासन का पालन करना ही चाहिए । माननीय सदस्य का सुझाव सराहनीय है। इस बारे में बहुत सी संस्थाओं ने अपना सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है। उनके साथ कैदियों जैसा अथवा अन्य किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं अपितु इस देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : क्या सरकार ने श्री सतीश राजगुप्ता तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये उस ज्ञापन पत्र पर विचार किया है जिसमें कहा गया है कि शरणार्थियों को बाहर भेजने के बजाय बंगाल में ही रखा जाये क्योंकि वहां पर इस बात की काफी गुंजायश है ? ..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री त्यागी : मेरी सतीशचन्द्र गप्ता से कलकत्ता में बातचीत हुई थी । मैंने इस समस्या के बारे में उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं । किन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यदि इन शरणार्थियों को एक बार पश्चिम बंगाल के शिविरों में रखा गया तो फिर वे बाहर नहीं जायेंगे क्योंकि उनका अपनी भाषा से बहुत मोह है ।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप): मंत्री महोदय ने गोली चलाने वालों के कथनानसार वक्तव्य तो दे दिया, किन्तु क्या उन लोगों से भी पूछा गया था जिन पर गोलियां चलाई गईं ? क्या मंत्री महोदय ने मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की थी या वे इस मामले में संसद्-सदस्यों को जांच करने की अनुमति देंगे ?

श्री त्यागी : मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में टेलीफोन और तार द्वारा लगातार सूचनायें प्राप्त होती रहीं । मुझे शरणार्थियों के शिविर छोड़ने से रेलगाड़ी में बैठने तक की सारी सूचनायें प्राप्त होती रहीं । यह पुलिस द्वारा बताई गई सूचना नहीं है । घटनास्थल पर उप आयुक्त तथा एक माननीय मंत्री भी मौजुद थे । इन लोगों द्वारा दी गई सूचना मैंने सभा को दी है ..... (**अन्तर्बाधायें**) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस बारे में कोई संसदीय समिति नियुक्त की जायेगी ।

श्री त्यागी : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हैवी इलेक्ट्रिकल्स सम्बन्धी प्रश्न को लिया जाये । एक एम० एल० ए० भूख हड़ताल कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है और यह सूचना माननीय सदस्य को भेज दी गई है । इसलिए इस प्रश्न को उठाने का यह सही तरीका नहीं है ।

श्री मुहम्मद इलियास: (हावड़ा) : बर्मा में भारतीय नागरिकों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? मुझे उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय: : मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । जिन माननीय सदस्यों को यह सूचना नहीं दी गई है उन्हें वह भेज दी जायेगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या आप उन स्थगन प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे जिनकी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी दी गई हैं ताकि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर बाद में चर्चा की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ के बारे में अभी निर्णय नहीं किया जा सका है । उनके बारे में निर्णय किये जाने पर माननीय सदस्यों कों सूचना दे दी जायेगी । आज मुझे ५० से अधिक सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसलिये मैं य नहीं बता सकता कि किन के बारे में निर्णय कर लिया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मूल्यों में असाधारण वृद्धि सम्बन्धी ध्यान दिलाने वाली सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि २ जून, १९६४ के लिए इस आशय का एक अतारांकित प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया गया है. . .

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : An Adjournment Motion regarding rise in prices was given. . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : पश्चिम बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी: केन्द्रीय सरकार भी उसके लिए उत्तरदायी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की अन्तर्बाधाओं की अनुमति नहीं दे सकता । यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे उसे मुझे भेज सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पश्चिम बंगाल की दूकानों से चावल का गायब हो जाना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । क्या स्थगन प्रस्तावों के साथ साथ उसी आशय की ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी अस्वीकार कर दी गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या को यह महसूस करना चाहिए कि मैं प्रत्येक ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में एक दम से नहीं बता सकता । हम इन प्रस्तावों के अस्वीकार किये जाने के कारणों की चर्चा पर समय नष्ट नहीं कर सकते । माननीय सदस्य मतभेद होने की स्थिति में मुझ से मिल सकते हैं या अपनी शिकायतें मुझे भेज सकते हैं ।

डा० रानेन सेन : (कलकत्ता-पूर्व) : मैंने भी पश्चिम बंगाल की दूकानों से चावल के एकदम गायब हो जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजी थी। परन्तु मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है जबकि स० मो० बनर्जी को वह भेज दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे कुछ पहले भेजा होगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या बर्मा से आये शरणार्थियों के बारे में दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना को आज लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: सभी सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सूचना भेज दी जायेगी।

श्री बड़े: (खारगोन) . . . :

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम

विधि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २८, मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०५० में प्रकाशित भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–२८८४/६४]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम तथा भारत प्रतिरक्षा (आठवां संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री हाथी): मैं (१) अखिल भारतीय सेवायें, अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की तीसरी अनुसूची में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १८२१।

(ख) दिनांक २८ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ४८४।

(ग) दिनांक २८ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ४८५।

(घ) दिनांक २८ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ४८६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० २८८५/६४]

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की तीसरी अनुसूची में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५२५ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८६/६४]**

(३) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक १ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१० में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (आठवां संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८७/६४]**

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अर्न्गत दिनांक १६ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४७ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८८/६४]**

परिसीमन आयोग के आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा १० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल परखता हूं :—

(एक) दिनांक २ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५१६ में प्रकाशित आदेश संख्या २१, जिसके द्वारा पांडिचेरी के संघ राज्य-क्षेत्र में विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८९/६४]**

(दो) दिनांक ७ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६१० में प्रकाशित आदेश संख्या ७, जिसके द्वारा केरल राज्य में संसदीय तथा विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८९०/६४]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जहां तक उपरोक्त मद (दो) का सम्बन्ध है, क्या सरकार ने आगामी वर्ष में केरल में सामान्य निर्वाचन करने के बारे में पक्का एवं अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

श्री अ० कु० सेन : उसका सामान्य निर्वाचनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह केवल संसदीय तथा विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन आयोग द्वारा सीमा निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित है।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं ६ मई, १९६४ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६४ ।

(२) कराधान विधियां (वसूली सम्बन्धी कार्यवाही को जारी रखना तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४ ।

(३) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९६४ ।

(४) भेषज तथा श्रंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(दो) मैं ६ मई, १९६४ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, १९६४ ।

(२) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता') संशोधन विधयक, १९६४ ।

(३) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक, १९६४ ।

(४) पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(५) गोआ, दमन और डीव न्यायिक आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय घोषित करना), विधेयक, १९६४ ।

(६) भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(७) भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक, १९६४ ।

(८) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(९) दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(१०) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६४-६५

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1964-65

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं १९६४–६५ के आय व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, १९६४

Constitution (Nineteenth Amendment) Bill 1964

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदयः : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री प्र० के० देव : (कालाहांडी) : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यह विधेयक लोकतन्त्र के मूलभूत आधारों के विरुद्ध है । यह विधेयक १७ वें संशोधन विधेयक जैसा ही है जिसका इस सभा में कड़ा विरोध किया गया था । इन विधेयक में गरीब किसानों से उनकी सम्पत्ति का अधिकार छीनने की व्यवस्था है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने देने अथवा न करने देने का आपको अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा अधिकार हो सकता है, परन्तु उनका औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री प्र० के० देव: सरकार इस बहाने से कि इस पर अचानक मतदान लिया गया इस विधेयक को दूसरे नाम से नहीं ला सकती ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस सम्बन्ध में संविधान का कोई अनुच्छेद अथवा नियम बता सकते हैं ?

श्री प्र० के० देव : संविधान के विभिन्न उपबन्ध शासक दल की सुविधा के लिये तोड़े नहीं जा सकते ।

अध्यक्ष महोदयः कौनसा उपबन्ध तोड़ा गया है ?

श्री प्र० के० देव : सम्पत्ति पर मूलभूत अधिकार । आपकी कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है "**धर्मचक्र–प्रवर्धनाय**" । यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप यह देखें कि लोक-तन्त्रात्मक सिद्धान्तों का उचित रूप से पालन किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनका यही औचित्य प्रश्न है कि इस चक्र को हटा दिया जाये अथवा मुझे हटा दिया जाये ?

श्री प्र० के० देव : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जब कि राष्ट्रीय आपात काल चल रहा हो और जब कि प्रधान मंत्री का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो यह अत्यावश्यक है कि इस प्रकार के विधान को नहीं लाना चाहिये (अन्तर्बाधायें) ।

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क करते जा रहे हैं, परन्तु कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया गया है । यह बात उचित नहीं है । वे केवल विधेयक का विरोध करना चाहते हैं । उन्हें ऐसा स्पष्ट रूप से करना चाहिये । श्री यशपाल सिंह ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : It has been the convention of this House that a gift which could not be passed should not be introduced before the House again before the expiry of six months.

Mr. Speaker : Where it is written ?

Shri Yashpal Singh : It is written in our Rules and Regulations.

Mr. Speaker : Please quote that rule.

Shri Yashpal Singh : Please let me have my say. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Yashpal Singh : There has been no precedent when a Private Member's Bill that has been rejected has been reintroduced within a period of six months.

Mr. Speaker : He has referred to a rule, let me see the relevant rule.

An Honourable Member : This is a foot-rule (*interruptions*).

Mr. Speaker : What the hon. Member has said is not based on any rules.

Shri Yashpal Singh : It is quite un-parliamentary that tax-paying public should be punished for the failure on the part of the Government to keep the necessary majority. . . . .

Mr. Speaker : That is a separate question. The hon. Member can range this point during the debate on the Bill, but that he has said just now is not a point of order. I have repeated it several times that nothing should be said in the name of the point of order which may lower the level of the debate too low. If we do so the world will simply laugh at us that we do not even know what the point of order is.

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमन्, यह विधेयक संविधान का, विशेषत: मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है । यह विधेयक उच्चतम न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को कम करता है । जब इस विधेयक को (१७वें संशोधन) विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया गया तो यह पारित नहीं हो सका था, अब सरकार द्वारा उसी विधेयक को इस रूप में लाना उचित नहीं है । इसके लिये संसद का यह विशेष सत्र बुलाना भी उचित नहीं है । देश पर आक्रमण के समय में ही विशेष सत्र को रखने में तो औचित्य है । जब देश पर आक्रमण हुआ तो ऐसा कोई सत्र नहीं रखा गया । अब सरकार इस तरीके से हमारे संविधान में दिये गए मूल अधिकारों को समाप्त करना चाहती है । मैं इस विधेयक के प्रस्तुत किये जा नेको अनैतिक समझता हूं ।

अत: श्रीमन्, इस विधेयक पर इस देश के विधिवेत्ताओं और विश्व विधिवेत्ता संस्था के विधि वेत्ताओं की राय अवश्य लेनी चाहिये कि क्या ऐसा करना वैध है अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना है कि क्या यह विधेयक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल है ।

अध्यक्ष महोदय : जब विचार करने के लिये प्रस्ताव किया जाये उस समय वह इन सुझावों को दे सकते हैं । यह तो विधेयक को पुर:स्थापित करने की अवस्था है ।

श्री रंगा : ऐसा अभी करना चाहिये, अन्यथा यह संविधान के विरुद्ध होगा। संविधान में इस संशोधन पारित करने के पश्चात् ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । असंख्य व्यक्तियों को केवल इस लिये जेल भेज दिया गया है कि उन्होंने संविधान के प्रति पर्याप्त सम्मान प्रकट नहीं किया ।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक के पुरःस्थापित होने से पहले इस अवस्था पर सामान्य चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्था पर सामान्य चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री रंगा : संविधान के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा है प्रत्येक सदस्य को अपने दल के प्रति वफादारी को छोड़ कर अपना व्यक्तिगत मत अपनी मरजी से देने का अधिकार है । जब यह विधेयक एक बार पारित नहीं हो सका है तो इसे दुबारा लाना सर्वथा अनैतिक है । अतः मैं शासक दल के मुख्य सचेतक से निवेदन करूंगा कि वह इस सभा को आश्वसन दें कि वह सदस्यों से इस विधेयक के पक्ष में मत देने के लिये आग्रह नहीं करेंगे । सभी लोकतन्त्रात्मक देशों में सम्पत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो केवल छोटा सा वक्तव्य ही दिया जा सकता है । माननीय सदस्य अपने विचारों को बहुत विस्तार में रख रहे हैं और मंत्री से, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है सदस्यों पर दबाव न डालने के लिए आश्वासन मांग रहे हैं। इस आश्वसन का विधेयक के पुरःस्थापन से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्हें अपने भाषण को समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री रंगा : आप मुझे विधेयक के विषय के सम्बन्ध में भी बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और यदि मैं यह कहता हूं कि इस विधेयक की पुरःस्थापना में अनैतिक है तो आप कहते हैं कि इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । जब यह विधेयक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करता है तो हमें इसके विरोध करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । मैं पहिले ही कह चुका हूं कि यह एक अनैतिक प्रक्रिया है, गैर कानूनी प्रक्रिया है, असंवैधानिक है, इससे संविधान और विशेषतः उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा कम होती है । यह विधेयक मूल भूत अधिकारों का खण्डन करता है अतः हमें देश के प्रत्येक भाग में यह बताने की स्वतन्त्रता होगी कि सरकार किसान की शत्रु है, व्यक्तिगत सम्पत्ति की शत्रु है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की शत्रु है ।

श्री अ० कु० सेन: मेरा निवेदन यह है कि प्रो० रंगा को अपने कमज़ोर तर्कों के समर्थन में संविधान को नहीं लाना चाहिए । उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि संविधान अपने ही सिद्धान्तों के विरुद्ध चला जायेगा । संविधान के अन्तर्गत हमें भूमि संबंधी सुधारों को लाना है और यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भूमि जोतता है उसके पास न्यूनतम मात्रा में तो भूमि हो और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये हम प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य सभी रुकावटें दूर कर देंगे ।

श्री रंगा: संवैधानिक भी ?

श्री अ० कु० सेन: इस प्रकार यह केवल संविधान की भावना के ही अनुरूप नहीं है अपितु उसमें किये गये उपबन्ध के भी अनुरूप है । इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम यह देखें कि वे सभी प्रविधिक बाधायें जो कि हमें भूमि सुधार लाने से रोकती हैं उन्हें दूर कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मेरा मत विधेयक के पक्ष में है । मशीन कार्य नहीं कर रही है ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : मशीन कार्य नहीं कर रही है । मेरा मत पक्ष में है ।

Shri Jagdev Siddhanti (Jhajjar) : I pressed the button, but there was no light. My vote is for "Noes".

श्री चन्द्रभान सिंह (विलासपुर) : बटन कार्य नहीं कर रहा है । मेरा मत विधेयक के पक्ष में है ।

श्री बटेश्वर सिंह (गिरडीह) : मशीन कार्य नहीं कर रही है। मेरा मत विधेयक के विपक्ष में है ।

श्री वाल्वी: (नन्दुरकर) : मशीन कार्य नहीं कर रही है । मेरा मत पक्ष में है

अध्यक्ष महोदय: ये सब बातें लिख ली गई हैं । विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	३१८	विपक्ष में	३१
Ayes	318	Noes	31

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री रंगा : मुख्य सचेतक द्वारा एक सचेतक के जारी न किये जाने का आश्वासन दिये जाने और विधि मंत्री द्वारा किसानों को चुनौती दिये जाने के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं ।

इस समय श्री रंगा और कुछ अन्य माननीय सदस्य तब सभा भवन से बाहर चले गये ।

श्री अ० कु० सेन: श्रीमन् मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय: ६ मई, १९६४ को श्री मेहरचन्द खन्ना द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जायेगा :--

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ का संशोधन करने वाले विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार के लिये लिया जाये ।"

श्री भाल्मीकी उस समय बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Balmiki (Khurja) : While speaking on the Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill during the last Session I was saying that increase in slum areas was keeping pace with industrialisation in the country. Million of unfortunate people are not provided with land and employment, especially those who come from rural areas and settle in these slums.

Even the three Five Year Plans could not bring any change in the lines of the village people who do not still have any suitable means of daily livelihood and employment, as they exist in cities. There is hardly any appreciable increase in daily wages. Assurances given regarding incentives for small scale and cottage industries have been fulfilled only in name.

Dispersal of industries, as mentioned in the Third Five Year Plan, has not been paid any attention. Increase in slum areas cannot be checked unless villagers are provided with means of livelihood and employment in the villages itself.

A more extensive Bill covering the entire country may be brought in so as to have its country-wide effects. It may not be confined to Delhi only, since other areas are also faced with this problem. Those landless labourers who go from villages to cities for getting jobs should be provided with accommodation, as we claim to be a socialistic State. Efforts made for clearance of slum areas and resettling those people according to scheduled plans have been very slow.

The way in which these demolition squads, in Bombay Delhi and Calcutta, carrry on their work mercilessly pains me. It ought to be condemned and it must not find a place in a country believing in socialistic pattern of society. People living in slum areas must not be resettled in far off places—some ten-fifteen miles away from the main city—where there are no means of livelihood and employment for them.

A look on these slum areas leave an impression that sanitation arrangements there are very inadequate and latrine systems are of very old type. The recommendations of the Malkani Committee are not being implemented by Municipal Corporation etc. Dry type latrines are not being converted into wet type. Even where the latter type of latrines exist, they are not operated satisfactorily for scarcity of water and want of other sanitary arrangements.

[Shri Balmiki]

Attention must be paid towards this. In sewered areas of old Delhi, it should be made compulsory to have sewer connections. In other areas receptacle type latrines may be introduced or buckets and scrappers may be provided. Special attention should be paid to Harijan colonies and they should be allotted plots at those places only where they live predominantly. Such schemes should not remain on paper only, but must be implemented.

The work of improvement and clearance of slum areas should be taken by Government in their own hands. It must not be left to the house or land owners who are not interested in this work and are concerned with rent only. House owners charge heavy rents and pugree money from tenants. This pugree evil exists in Delhi also. Government should take concrete steps to see that this pugree evil is wiped off.

The bill is silent regarding the provision of alternate accommodation to the persons who would be shifted from these slum areas and responsibility for the same has not been fixed either on the Government or on the house-owners. The people to be evicted from these slum areas should be provided with alternative accommodation and such arrangements should be made that people have no fears and apprehension in their minds regarding this.

Plots have been allotted to some particular persons in Delhi. This should be done away with. Those poor persons and scavangers who are uprooted from their colonies should be rehabilitated at their own places after improvement and clearance of the slum areas so that they do not become far off from their places of work. A firm and strong policy should be adopted in this regard.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि गन्दी बस्तियां केवल देश के बड़े बड़े नगरों में ही नहीं हैं, प्रत्युत्त गांवों में भी हैं ऐसे गांव में भी गन्दी बस्तियां हैं, जहां कि केवल ५०, ६० परिवार ही रहते हैं। यह देश में चल रही असमानता की द्योतक है। इसे समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस समस्या को हल करते हुए इस पहलु को भी अपने समक्ष रखना चाहिए। इस विधेयक के पारित हो जाने पर इसे सभी राज्य सरकारों के पास भेजना चाहिए और उन्हें इसी तरह के विधेयक पारित करने को कहना चाहिए। बड़े बड़े नगरों के लिए तो केन्द्रीय सरकार को माडल बनाने चाहिएं। जिला परिषदों तथा खण्ड समितियों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाना चाहिए। सरकार को सारी बस्तियां, कटड़े और सभी गन्दे इलाके अपने कब्जे में कर लेने चाहिएं और उनका विकास करना चाहिए। इन स्थानों के मालिकों को मुआवजा दे देना चाहिएं। इन स्थानों को विकसित करके यहां रहने वालों को बनाये हुए स्थान अलाट कर देने चाहिए। सरकार भूमि स्वामी होने का काम करे परन्तु उसे दयालु भूमि स्वामी होना चाहिए। समाजवादी सिद्धान्तों तथा समाजवादी समाज की रचना करने की दृष्टि से यही ठीक रास्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

अन्य बात जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि यह विधेयक पारित हो जायेगा परन्तु इन बस्तियों के लोगों को निकालने का काम सरकारी अधिकारी नहीं कर सकेंगे। मेरा सुझाव है कि सरकार को प्रत्येक गन्दी बस्ती तथा क्षेत्र में समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की समिति

बनानी चाहिये । इस समिति को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये । बड़े सरकारी अधिकारी निष्कासन का कार्य नहीं कर सकते । और इस बात का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिये कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले अन्ततोगत्वा जिन मकानों में रहते हैं उनके मालिक बन सकें । इस बात की व्यवस्था विधेयक में की जानी चाहिये । आशा है मंत्री महोदय इस दिशा में समुचित पग उठायेंगे ।

इस सन्दर्भ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं वह यह कि यह समस्या केवल गन्दी बस्तियों के रहने वालों तक ही सीमित नहीं है झुग्गी झौंपड़ी वालों की समस्या भी उनके साथ जुड़ी हुई है । यह ठीक है कि माननीय मंत्री महोदय ने इन लोगों की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है और ५०,००० के लगभग आवास स्थान निर्माण किये गये हैं । इस कार्य के लिए ७ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी, परन्तु ४ करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो जायेगी और झुग्गी झौंपड़ी वालों के पुनर्वास का काम भी चलता रहेगा । कटड़ों और बस्तियों के सुधार का और विकास का काम भी चलता रहना चाहिये ।

मैं देहाती औद्योगीकरण की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस को प्रोत्साहन दिया गया तो लोग देहातों से शहरों की ओर नहीं आयेंगे । गांवों में कृषि तथा गैर-कृषि लोगों के लिए रोजगार क्षमता की काफी वृद्धि होगी । गन्दी बस्तियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये । स्कूल, औषधालय, पंचायत इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिये । बच्चों के पार्क का भी प्रबन्ध होना चाहिये । मेरा मतलब यह है कि मंत्री महोदय को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि प्रसन्न जीवन की प्रेरणा सब को मिल सके ।

श्री मुत्तु गोंडर (तिरुपत्तूर) : नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार ५०,००० के लगभग लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं । ७०,००० लोग पटड़ियों पर रह रहे हैं । दिल्ली में लगभग १,२०,००० परिवार ऐसे हैं जिनके पास समुचित आवास सुविधायें नहीं हैं । यदि प्रति परिवार ५ व्यक्ति भी मान लिए जाय तो दिल्ली में ६,००,००० लोग की स्थिति ऐसी है । दिल्ली की जनसंख्या २७,००,००० है और एक चौथाई लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं । ५ लाख लोगों के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है । और इस कार्य के लिए सरकार १० करोड़ रुपया खर्च कर रही है ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गन्दी बस्तियों की समस्या को केवल इस तरह ही हल किया जा सकता है कि आगे से मजदूरों का आगमन रोका जाय । यदि हम केवल वर्तमान गन्दी बस्तियों को ही सुधारते रहे तो इतने समय में और सैंकड़ों गन्दी बस्तियां बन जायेंगी । देहाती लोग मजदूरी के लालच में शहरों में आ जाते हैं ।

वे गन्दी बस्तियों में ही रहना चाहते हैं । क्योंकि वे विनय नगर, करोल बाग आदि में बर्तन साफ करने का काम करने वाले गरीब लोग होते हैं । इसलिए इन लोगों को इन गन्दी

[श्री मुत्तु गौंडर]

बस्तियों से हटा कर दूर निवास स्थान देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन के धन पैदा करने के स्थान घनी बसी बस्तियां हैं ।

प्रत्येक वर्ष दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है । जनसंख्या वृद्धि अधिकांश गन्दी बस्ती में रहने वाले लोगों की ही हो रही है क्योंकि यहां पर नौकरों को ३० से ४० रुपये मिलते हैं जो उन को गांवों में नहीं मिल सकते हैं । इसलिये यदि आप गन्दी बस्तियों को हटाना चाहते हैं तो दिल्ली से सरकारी दफ्तरों को अन्य नगरों में भेजने का प्रयत्न करना चाहिये ।

दिल्ली के आस पास उद्योग स्थापित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है और इस कारण भी दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है । उद्योग स्थापना के कारण नौकरों की जरूरत होती है जो गन्दी बस्तियों में कम धन व्यय कर के रहते हैं ।

विदेशों में ऊपरी मध्यम वर्ग में नौकर रखने का रिवाज नहीं है । कहा जाता है कि अमरीका में हजारों रुपया मासिक पाने वाला व्यक्ति भी नौकर नहीं रखता है । परन्तु भारत में ५०० रुपया पाने वाला व्यक्ति नौकर रखने में अपनी शान समझता है । दिल्ली में नौकरों के कारण गन्दी बस्तियां फैल रही हैं और बम्बई में अवैध रूप से शराब बनाने के कारण गन्दी बस्तियां फैलती जा रही हैं । बम्बई में गांव से लोग आकर इस गन्दे काम को करते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गांवों में अब लोगों को कोई आकर्षण नहीं रह गया है । किसान गांवों में मजदूरों को अच्छी मजदूरी नहीं दे पाते हैं । अतः प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को मजदूरी गांवों में अच्छी मिले और वह शहरों की ओर न भागें और गन्दी बस्तियां न बनायें ।

दिल्ली में ही नहीं अपितु सभी राज्यों की राजधानियों में यही समस्या है । हमें प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया है । मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि ग्रामीण जीवन को आकर्षक बनाया जाये जिससे मजदूर गांवों में ही रहें और शहरों की ओर न भागें और गन्दी बस्तियां न बढ़ायें ।

Shri R. S. Pandey (Guna) : I welcome the provision made in the Slum Clearance Bill. This is the problem confronting the whole world. I went to abroad and found that there also villagers run towards towns because they get more money for their labour there. This is due to industrialization.

This is a grave problem in our country. Take the case of Bombay. There the khoti is of 10 ×10 but I saw 30 people are living there. There is no arrangement of lavatory and drinking water and even in the day time there is darkness. Who is responsible for it. We are responsible for it. I am happy that our Government realised this and now trying to remove all these slums.

Once Panditji said that these slums should be banned. I am also of the same view because the future generation of India lives there in the shape of children of these slum dwellers. These children become habitual of bad habits. We should think over it and try to remove these slums.

In this connection I submit that we should have a cess on Industries as we have put a cess on khadi, for the construction of colonies for labourers. I suggest that Central Government should contribute and State Government should contribute at the money collected by imposing cess, may be collected and colonies constructed so that slums may not be established.

My another suggestion is that Government should not give licence to a industrialist unless he makes provision of housing. Government should cancel all the licenses of those industrialists who had not made any provision for the housing. With these two suggestions I end.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr Deputy Speaker, Sir, the Government have not so far considered this question of slums with a view to reduce it. Certain persons are rewarded for sanitation but it is not seen as to what conditions prevail in the neighbourhood. The Government have not so far paid otheir attention to the question as to how the slums grow up.

There are no industries in rural areas to provide employment there to villagers. Whenever villagers visit the urban areas, they are attracted by the glamour of the city and migrate from villages. But there being no suitable residence for them they live here and there and thus slums grow up. To check this, the Government should make it a rule that before a licence for starting an industry is issued, it should be seen that there are proper arrangement for the housing of labour. The provision of a sum of Rs. 100 million will not be sufficient to tackle this problem. It is necessary that cottage industries are established in the rural areas so that people stay in their villages. Then only the slums can be cleared.

This work should be entrusted to some one authority so that it could be done efficiently.

The jhuggis should be demolished only after proper arrangements are made for the rehabilitation of the dwellers.

Ten years before the number of slums was no high. Today in Delhi only, there are 11 or 12 slums. This problem is not concerning only one city. Slums also prevail in big cities like, Bombay, Madras, Calcutta and Kanpur. I fear that this problem might not arise in Kotah also as factories are being established. there . There is no proper arrangement for the labourers to live. They have put their jhopris on the canal bank. During the day, they work in factories and at night they live in these jhopris. These are harijans and work on daily wages basis. If the Government lacks funds, they might compel the factory-owners to make proper arrangements for the labourers to live in.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, after going through the Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill is nothing but the change in wordings of the old Act. It will be of no use. Many years ago Mahatma Gandhi had said that the country cannot prosper till there are *jhuggis* and slums on the one side and big rich bungalows on the other. Even after 17 years of independence, this problem of *jhuggis* and slums remains unsolved. To me it appears as if those jhuggi-owners are being given special rights. The slum problem can only be solved if we change our commercial point of view. So far new industries or business start only in cities and villages are neglected. The Government should change its commercial attitude and should take steps to start industries in rural areas also.

श्री श्याम लाल सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि गन्दी बस्तियों की सफाई के मामले में भ्रम पैदा हो गया है जब कि यह मामला आवास और अन्य बातों से सर्वथा भिन्न है। गन्दी बस्तियों की सफाई के प्रश्न पर केवल स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता के ही सामान्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि किसी गन्दी बस्ती क्षेत्र में रहन-सहन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए दो या तीन बातें कहना चाहता हूं। पहले तो यह कि इस विधेयक में उन व्यक्तियों की श्रेणियां बनाई गई हैं जिन्हें गन्दी बस्तियों की सफाई के बाद बनाये गये आवास क्वार्टर दिये जायेंगे। इनमें सरकारी कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी हैं। वे दिल्ली में स्थायी रूप से रहें या न रहें, जब तक वे इन निकायों अथवा संस्थाओं में काम करेंगे उन्हें रहने को स्थान मिलेगा। दूसरे कुछ श्रमिक लोग हैं जो सीज़न पर आते हैं और काम समाप्त होने पर वापस चले जाते हैं। उनके लिये "रैन बसेरों" की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि काम समाप्त होने तक वे वहां रह सके। तीसरे, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यहां के स्थायी निवासी हैं लेकिन जिनके पास रहने की जगह नहीं है। उनको रहने के लिये कोई स्थान दिया जाये।

गन्दी बस्तियों की हालत बहुत खराब है। वहां कोई सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, रोशनी नहीं है या बहुत कम है, रोशनदान नहीं हैं, सड़कों और गलियों में बत्तियां नहीं हैं नालियां नहीं हैं। अत: यदि इनका सुधार किया गया तो किसी एक विशेष क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे नगर अथवा कस्बे की हालत सुधरेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए गन्दी बस्तियों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

किरायेदारों को संरक्षण दिये जाने का स्वागत है। लेकिन जब कोई किरायेदार मुश्किलें पैदा करता है और अभद्र व्यवहार करता है तो क्या उसको भी संरक्षण दिया जायेगा ?

Shri D. S. Patil (Yeotmal): Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill.

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

The problem of slums has become a concerning news to every city and every administration and there are three reasons for that.....

श्री जवाहरलाल नेहरू का देहावसान
DEMISE OF SHRI JAWAHAR LAL NEHRU

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सभा को और देश को एक अत्यन्त दुखद समाचार देना है। प्रधान मंत्री जी अब हमारे मध्य नहीं रहे। जीवन ज्योति बुझ गई।

अध्यक्ष महोदय : इस समय देश पर यह महानतम विपत्ति आई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसके सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस समय मैं बिना कुछ कहे सभा स्थगित करता हूं। यह कल *११ बजे समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २९ मई, १९६४/ज्येष्ठ १८८६ (शक) के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, the 29th May, 1964/Jyaistha 8, 1886 (Saka).

---

*बाद में २८ मई, १९६४ की बैठक रद्द कर दी गई।

GMGIPND LSIII—777(Ai)LSD—16-7-64—600